वार्शिक रिपोर्ट 2012—13

नेहरु युवा केन्द्र संगठन

विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

INSPIRING YOUTH

Nehru Yuva Kendra Sangathan

Mahatma Gandhi
(1869-1948)

Launched Satyagraha against racism in South Africa at 25, became a Mahatma at 49

Bhagat Singh
(1907-1931)

Hanged at 24 for fighting imperialism

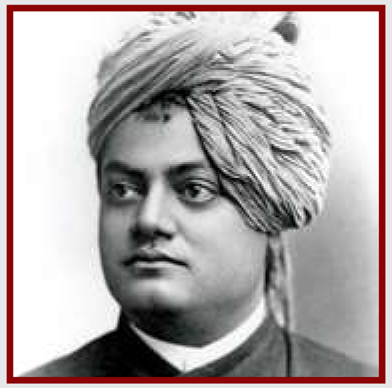

Swami Vivekananda
(1863-1904)

Addressed World & Parliament of Religions in Chicago Illinois at 30.

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

NYKS
नेहरु युवा केन्द्र संगठन
विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

नेहरु युवा केन्द्र संगठन

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

अंतर्वस्तु

1.	नेयुकेसं परिचय	1
1.	नियमित कार्यक्रम	9
2.	श्रज्ञज्भ्ज्ञज्ञष्ज्ञज्ञ थ्श्रप्ज्ञैर्ट	21
2.	17 मैट्रो शहरी जिला नेयुकेसं के लिए विशेष कार्यक्रम	25
3.	राज्य मंडल स्तरीय नियमित कार्यक्रम 2012–13	31
4.	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा सप्ताह का आयोजन	37
5.	विशेष कार्यक्रम	45
	परिशिष्ट – अ एवं ब	61
	अनुबंध	95

नेहरु युवा केन्द्र संगठन

विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

ug: ;ok dUn lxBu

परिचय

विकास के लिए युवा सबसे बडा मानव संसाधन है, इसलिए वे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा तकनीकी नवप्रवर्तन के मुख्य आधार भी माने जाते हैं। यह आवश्यक है कि देश के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वातावरण के विकास कार्यक्रम में युवाओं की विशिष्ट जरूरतों, इच्छाओं और महत्वकांक्षाओं पर आधारित गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता की आवश्यकता है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन इसके लिए 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को एकजुट करने में सुविधा प्रदान करता है।

विश्व में अपनी तरह के सबसे बडे जमीनी स्तर के स्वयंसेवी संगठन नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना स्वयंसेवा, स्वयंसहायता एवं सह सहभागिता के सिद्धांतों पर युवाओं को दिशा देने और युवा ऊर्जा को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की गई थी। युवा एक अनिवार्य और गुंजायमान तथा परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण मानव संसाधन है,

जिनको भारत राष्ट्र की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के भविष्य की जिम्मेवारी सौंपी जानी है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जिला स्तर पर युवा कार्यक्रम एवं गतिविधियों को आयोजित करने हेतु देश भर में 501 जिला कार्यालय तथा राज्य स्तर की गतिविधियों एवं प्रबोधन हेतु 28 मंडल कार्यालय और 2,52,000 से अधिक गांवों पर आधारित युवा मंडल हैं। जमीनी सतर पर इन युवा मंडलों के गठन का उद्देश्य है गांव स्तर पर एक स्वैच्छिक कार्य समूहों को तैयार करना जो समुदाय के सर्वांगीण विकास की अवधारणा के साथ आगे आयें।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ताकत इसके 11805 से राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों में जमीनी स्तर पर इनके युवा मंडल और महिला मंडल के सदस्यों में निहित है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से ये गांव स्तरीय संगठन सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं वातावरणीय परिवर्तन के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब यह समूह गांवों की मजबूती और स्वावलम्बन की पहचान के साथ कार्यात्मक कार्य समूह बन गए हैं। इन सब बातों के आलोक में देखें तो नेहरू युवा केन्द्र संगठन केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह एक जन आंदोलन बन चुका है।

उत्पत्ति

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना 1972 में 15 से 35 आयु वर्ग के गैर छात्र ग्रामीण युवाओं को आगे बढने के अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय निर्माण के तथ्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित स्वयं सेवी कार्यों पर जोर देते हुए गांवों में विकास कार्यों के लिए युवाओं को एकत्रित करना जागृति पैदा करना, संगठन की रणनीति है। नेहरू युवा केन्द्र के लक्ष्य निम्नवत हैः–

- ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना।
- नैतिक मूल्यों और क्षमता का विकास करना जिससे वे आधुनिक भारत के एक उत्पादक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
- जातिपाति रंग, लिंग और धर्म में भेदभाव के बिना राष्ट्र की सेवा में समान अवसर प्रदान करने हेतु उचित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना।
- संसाधनों में आत्मनिर्भरता का अनुसरण करना।
- रोजगार सृजन, साक्षरता और परिवार कल्याण, पर्यावरण संतुलन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यक्रमों के प्रोत्साहन और विकास के लिए नेहरू युवा

केन्द्र संगठन के नेटवर्क का उपयोग करना।
- शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य केन्द्र और विविध आमदनी सृजन गतिविधियों को शामिल कर और उसका दायरा विस्तृत करते हुए महिलाओ को सशक्त बनाना।

संक्षेप में कहें तो नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक ऐसा संगठन है जो गांधी जी के ग्राम स्वराज सुराज एवं विकास कार्यक्रमों और नेहरू जी के आत्मनिर्भर आधुनिक भारत के संयुक्त दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने के लिए संकल्पबद्ध है।

एक अग्रणी युवा संगठन के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन 13–35 आयु वर्ग गैर छात्र ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखते हुए विकास गतिविधियों एवं लोगों को एकजुट

करने के लिए एक सरकारी और गैरसरकारी क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करता है।

एक संस्था से जन आन्दोलन तक

नेयुकेसं– स्कोप एवं ढांचा

हमारे देश की जनसंख्या का तीन चौथाई भाग गांवों में रहता है, और राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास का आधार उनकी प्रगति और विकास पर निर्भर करता है। ग्रामीण लोगों, विशेषकर युवाओं की जरूरतें उनके शहरी प्रतिरूप के मुकाबले अलग तरह की होती है। इस संदर्भ में नेहरू युवा केन्द्र संगठन का गठन उनकी शक्ति को गति देने और युवाओं को समुदाय की सेवा तथा स्वावलम्बन के लिए सशक्त करने के लिए किया गया।

युवा समूह उन विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए आगे आते हैं, जो कि स्वतः ग्रामीण निरन्तरता, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्र विकास को प्रभावित करती है और ग्राम सशक्तिकरण प्रत्येक सक्रिय युवा मंडल और महिला मंडल की पहचान बन चुकी है। इसके अलावा वे ग्रामीण क्षेत्र में सोशल ऑडिटर्स की निर्णायक भूमिका भी निभाने लगे हैं। ये युवा मंडल एवं महिला मंडल वास्तव में सक्रिय कार्य समूह बन चुके हैं।

युवाओं तक पहुँच

नेहरू युवा केन्द्र संगठन नेतृत्व, चरित्र विकास, सामुदायिक सेवा, आत्मविकास, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व देशभक्ति को राष्ट्र के विकास के मूलभूत लक्षण के रूप प्रोत्साहित करता है। संगठन युवाओं को इस दिशा की ओर मोडने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है जिससे कि उनमें राष्ट्रीय पहचान एवं एकीकरण की भावना का निर्माण हो, जो भय और हिंसा से परे हों।

जिला स्तर पर ढांचा

विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन के पास देश भर के जिला युवा समन्वयकों, राष्ट्रीय युवा कोर, युवा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित कैडर का नेटवर्क है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन की मजबूती जमीनी स्तर पर इसके युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के विशाल नेटवर्क में निहित है। यह युवा मंडल विभिन्न स्थानीय समस्याओं से निबटने के लिए आगे आते हैं जोकि स्वतः राष्ट्र विकास को प्रभावित करती है।

लक्ष्य समूह की जरुरत के प्रति दायित्व

गैर छात्र ग्रामीण युवाओं (लक्ष्य समूह) कि आवश्यकताओं इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से

प्रशिक्षित कॉर्डर के युवा समन्वयकों, एनवाईसी, युवा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम एवं गतिविधियॉं आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाएं एवं विभाग इसमें शामिल होते हैं, जिससे की विकासात्मक योजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।

ढांचा

नेहरू युवा केन्द्र संगठन का चार स्तरीय ढांचा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शीर्ष पर शासी बोर्ड (बोर्ड ऑफ गर्वनर्स) है। भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते है। महानिदेशक इसके कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वे संगठन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबंध और संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देश में 28 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं मंडल निदेशक प्रत्येक मंडल का प्रमुख होता है और संगठन के कार्यक्रमों को सही प्रकार से कार्यान्वित कराते हैं।

जिलों में स्थापित नेहरू युवा केन्द्रों का कार्यालय प्रमुख जिला युवा समन्वयक होता है। क्षेत्र में युवा आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करना इसकी जिम्मेवारी है। इसकी सहायता के लिए एक लेखालिपिक–सह–टंकक, एक परिचायक, राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक जिनकी नियुक्ति युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजना के अनुसार की जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, जहॉं पर विचारों को वास्तविकता में बदला जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक समिति होती है जिसे "युवा कार्यक्रमों के लिए जिला युवा कार्यक्रमसलाहकार समिति" (डीएसीवाईपी) कहते हैं। यह (डीएसीवाईपी) समिति जिला नेहरू युवा केन्द्र की गतिविधियों का मार्गदर्शन, सहयोग प्रदान करती है और उसकी मॉनीटरिंग भी करती है। यह वार्षिक कार्य योजना पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है। इस समिति का गठन इस प्रकार से किया जाता है कि जिले में विकास से जुडे मुख्य संस्थानों और विभागों का इसमें प्रतिनिधित्व हो; इससे कार्यात्मक सम्पर्क बनाने और कार्यक्रमों के लिए प्रभावी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग भी करती है।

संगठनात्मक ढांचा

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार

शासी बोर्ड

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली

मंडल कार्यालय

जिला स्तरीय कार्यालय (नेहरू युवा केन्द्र)

गांवों के समूह/ ग्राम स्तर पर युवा मंडल/महिला मंडल/खेल मंडल

(i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	नाम	पद जो संभाल रखा है	शासी बोर्ड में स्थिति
1	श्री जितेन्द्र सिंह	माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
2	श्री अमरदीप सिंह चीमा	प्रख्यात व्यक्ति	उपाध्यक्ष
3	कु. एल. तिलोतमा	प्रख्यात व्यक्ति	उपाध्यक्ष
4	श्री बी.पी. सिंह	प्रख्यात व्यक्ति	उपाध्यक्ष
5	डॉ. प्रदीप टम्टा	संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6	श्री गणेश सिंह	संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
7	डॉ. विजय लक्ष्मी साधो	संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
8	श्री शरिफ उजमान लश्कर	प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
9	श्री सत्यजीत सुधीर तांबे	प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
10	श्री पंकज वत्स	प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य
11	सुश्री नीता चौधरी	सचिव (युवा मामले)	सदस्य
12	श्री पी. माईकल वैथा सिरोमनि, भा.प्र.से.	निदेश ाक–आरजीएनआईवाईडी	सदस्य
13	सुश्री सुजाता प्रसाद	वित्त सलाहकार (यु.का.एवं खे. मं.)	सदस्य
14	श्री सुधीर कुमार	कार्यक्रम सलाहकार (एन.एस.एस.)	सदस्य
15	डॉ. जी.एस.जी. अय्यंगर, भा.प्र.से.	संयुक्त सचिव (युवा मामले)	सदस्य
16	Jh lyhe vgen	महानिदेशक (नेयुकेसं)	सदस्य सचिव

(ii) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 31.03.2013 से

क्र.सं.	पदनाम	कुल संख्या	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद
	समूह अ			
1	महानिदेशक	1	1	0
2	'निदेशक	4	2	2
3	संयुक्त निदेशक	1	4	-3
4	''मंडल निदेशक	18	10	8
5	'''उपनिदेशक	56	51	5
6	सहायक निदेशक	9	10	-1
7	जिला युवा समन्वयक	623	296	327
	कुल	712	374	338
	समूह ब			

क्र.सं.	पदनाम	कुल संख्या	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद
8	लेखा अधिकारी	4	0	4
9	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	1	0
10	प्रशासनिक अधिकारी	18	5	13
11	अनुभाग अधिकारी	5	5	0
12	विधि अधिकारी	1	1	0
13	निजी सचिव – महानिदेशक	1	0	1
14	सहायक लेखा अधिकारी	19	5	14
15	कंप्यूटर प्रोग्रामर	1	0	1
16	कनिष्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर	18	0	18
17	निजी सचिव–अध्यक्ष	1	0	1
18	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	0	1
	कुल	70	17	53
	समूह स			
	कनिष्ट लेखा अधिकारी			
19	एकांउटेंट	19	3	16
20	आशुलिपिक–I	4	0	4
21	आशुलिपिक–II	12	10	2
22	सहायक	27	5	22
23	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहायक	43	5	38
24	ईडीपी सहायक	2	0	2
25	लाइब्रेरियन	1	1	0
26	लेखा परीक्षक	1	0	1
27	कनिष्ट एकांउटेंट	2	0	2
28	कम्प्यूटर ऑपरेटर	4	1	3
29	लेखालिपिक टंकक	4	0	4
30	अवर श्रेणी लिपिक	688	491	197
31	कनिष्ट लिपिक	6	6	0
32	चालक	30	14	16
33	कुल	70	43	27
	समूह द	913	579	334
	''''चपरासी / चौकीदार /			
34	सफाईवाला / फराश	578	607	-29
	कुल	2273	1577	696

नियमित कार्यक्रम

अपने उद्देष्यों को पूरा करने के लिए ने.यु.के.सं.मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता है और अपने क्षेत्रगत संगठनों, युवा मंडलों और स्वयंसेवकों को लगाकर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। 'नियमित कार्यक्रम' श्रेणी में विभि्ान्न कार्यक्रम, गतिविधियां और कार्यकलाप षामिल होते हैं जिन्हें उद्देष्य की पूर्ति के विभिन्न पहलुओं और स्तरों को पूरा करने करने के लिए संरचित किया जाता है। वर्श 2012–13 के कार्यक्रम और गतिविधियां ये थेः मेंटर युवा मंडलों की स्थापना, मेंटर युवा मंडल सदस्यों की क्षमता निर्माण, युवा मंडल अभियान को सुदृढ़ और सक्रिय बनाना, युवा मंडल विनिमय कार्यक्रम, युवा मंडलों हेतु खेलकूद सामग्री का उपबंध, जिला युवा सम्मेलन, म. हलाओं हेतु कौषल उन्नयन प्रषिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी), एटीडीसी/एनएसडीसी के अंतर्गत कौषल विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम (एस.डी.टी.पी.), तनाव और संघर्श प्रबंधन पर फोकस के साथ जीवन कौषल षिक्षा, ब्लॉक और जिला लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तषिल्प मेला और लोक गीत उत्सव, राश्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह तथा महत्वपूर्ण राश्ट्रीय/अंतर्राश्ट्रीय दिवसों को मनाना, युवाओं के लिए हस्तषिल्प संबंधी प्रदर्षनी, युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समिति की बैठकें और प्रलेखन।

पहली बार, युवा सुविधा केंद्र (वाई.एफ.सी.), संस्थागत छवि निर्माण कार्यक्रम, चरित्र निर्माण, नेतृत्व एवं ड्रग दुरुपयोग पर विषेश ध्यान के साथ कार्यषाला, नागरिकता जागरूकता कार्यक्रम, योग और षारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम स्थानीय जरुरतों और षहरी युवाओं की आवष्यकता के अनुसार विषेशकर 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के.. केंद्रों हेतु डिज. इन किए गए।

नियमित कार्यक्रम ऐसा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्हें वर्शभर उनके संचालन की नियमितता के साथ सभी जिलों अथवा व्यापक रूप से किसी विषेश क्षेत्र में एक समान रूप से संचालित किया जाता है। हालांकि, नई नीति को बढ़ाने और जरूरतों के मद्देनजर कुछ परिवर्तन आवधिक रूप से किए जाते हैं। सभी नियमित कार्यक्रम देष के प्रत्येक ने.यु.के.. की वार्शिक कार्य योजना में अनिवार्य रूप से षामिल किए जाते हैं।

ने.यु.के.सं.की वार्शिक कार्य योजना में षामिल किए गए 'नियमित कार्यक्रमों' के अलावा अन्य मंत्रालयों और संग. ठनों के सहयोग से वर्श 2012–13 में विषेश कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि युवाओं के लाभार्थ और गतिविधियां आयोजित की जा सकें जिनसे उनका समग्र विकास हो सके।

नियमित कार्यक्रमों के विवरण निम्नलिखित हैंः

1. मेंटर युवा मंडलों (एमवाईसी) की योजना

मेंटर युवा मंडल (एमवाईसी) की योजना देषभर के 501 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में दो मेंटर युवा मंडल स्थापित करने के उद्देष्य से वर्श 2011–12 में षुरू की गई थी। इसमें 10,000 मेंटर युवा मंडलों के पद धारियों (प्रत्येक मेंटर युवा मंडल से दो) हेतु 5 दिनों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना थी। योजना को षुरू करने के पीछे देष में युवा मंडलों के एक सुदृढ़ और प्रभावी नेटवर्क का निर्माण करने का विचार था। योजना का उद्देष्य पड़ोसी युवा मंडलों हेतु मेंटर के रूप में कार्य करने के लिए सर्वोत्तम निश्पादक युवा मंडलों का एक मध्यवर्ती चैनल सृजित करना था।

क. मेंटर युवा मंडलों की स्थापना

ग्राम आधारित युवा मंडलों का विकास और मेंटरिंग नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रमुख लक्षित क्षेत्रों में से एक है। 501 जिलों में फैले ने.यु.के.सं.द्वारा निर्मित 2.52 लाख से अधिक युवा मंडलों को सहायता देना, मार्गदर्षन देना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना काफी हिम्मत का काम है और इसके लिए मेंटर युवा मंडलों के साधन के सृजन की दृश्टि से विषेश पहल किए जाने की आवष्यकता होती है।

चिह्नित किया गया प्रत्येक मेंटर युवा मंडल इन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ने.यु.के.सं.द्वारा समर्थित होता है – अक्रियाषील/निश्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय बनाना, देष के अछूते ग्रामों में नए युवा मंडलों को बनाना और उन्हें स्व–सहायक/आत्म–निर्भर युवा मंडलों का एक सुदृढ़ और विष्वसनीय नेटवर्क विकसित करने के लिए सतत् मार्गदर्षन

और समर्थन प्रदान करना।

योजना के अनुसार, जिले के प्रत्येक ब्लॉक में से, उस ब्लॉक के सक्रिय युवा मंडलों में से दो सर्वाधिक सक्रिय युवा मंडलों को मेंटर युवा मंडलों के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया गया। इन पहचाने गए युवा मंडलों को, युवा कार्य के उनके सिद्ध ट्रैक रिकार्ड और ग्राम समू. हों के आस–पास स्थित अन्य युवा मंडलों को सहायता देने हेतु उनकी विद्यमान क्षमता के आधार पर मेंटर युवा मंडल के रूप में मान्यता दी गई।

इस ढंग से, देष के 5,000 ब्लॉकों में 10,000 मेंटर युवा मंडलों की एक सुदृढ़ नेटवर्क को मान्यता देने और विक. सित करने की योजना बनाई गई। उन्होंने आगे उनके ब्लॉकों में संबंधित ग्राम समूह में षेश युवा मंडलों की सहायता और मार्गदर्षन करने का दायित्व स्वयं पर ले लिया ताकि वे आत्म–निर्भर बन सकें, उनके लिए अधि. क उपयोगी बन सकें और ग्राम समुदाय को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकें। प्रत्येक मेंटर युवा मंडल को 10,000/–रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह एककालिक सहायता थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2012-13	3587	3164

'मेंटर युवा मंडलों की स्थापना का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–1 पर दिया गया है।

ख. मेंटर युवा मंडल सदस्यों का क्षमता निर्माण

योजना के अनुसार, मेंटर युवा मंडल को जिला स्तरीय ने.यु.के.. और एक ब्लॉक में आबंटित युवा मंडलों के समूह के बीच सेतु के रूप में कार्य करना होता है। साथ ही, वे आस–पास के अन्य युवा मंडलों का मार्गदर्षन करने और युवा मंडलों को सक्रिय एवं स्व–सहायक बनने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का उत्तरदायित्व भी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, एक मेंटर युवा मंडल को इस ढंग से विकसित होना और प्रगति करना होता है कि यह अपने आप को अन्य युवा मंडलों द्वारा अनुकरण करने हेतु एक आदर्ष नमूने के रूप में स्थापित करना होता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मेंटर युवा मंडलों के पदधारियों की क्षमता निर्माण की आवष्यकता महसूस की गई क्योंकि यह उन्हें युवा मंडल के प्रभावी प्रबंधन और प्रषासन के संबंध में अपने ज्ञान को और बढ़ाने, साथ देने के लिए मानव संसाध. नों को जुटाने, सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से विकास करने, लोकतांत्रिक नेतृत्व, सक्रिय युवा मंडलों के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौषल षिक्षा, संवाद कौषल, वैष्विक, राश्ट्रीय और स्थानीय महत्व के वर्तमान मुद्दों की समझ, विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाना और क्रियान्वित करना, दल निर्माण, परिणामोन्मुख निश्पादन और युवा सेवाओं को प्रभ. ावी रूप से प्रदान करने के अवसर प्रदान करेगा।

इस योजना के अंतर्गत, मेंटर युवा मंडलों के पदधारियों (प्रत्येक ब्लॉक में दो मेंटर युवा मंडल) के लिए 5 दिवसीय आवासीय क्षमता निर्माण प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	9330	5989	4446	1543	5989

'सदस्यों की कुल संख्या का मंडल–वार विवरण अनुलग्. नक–2 पर दिया गया है।

2. युवा मंडल अभियान को सुदृढ़ और सक्रिय बनाना

यह अभियान 5 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय अभियान के माध्यम से विद्यमान युवा मंडल को सषक्त बनाने का लक्ष्य रखता था। 10 सदस्यों को 05 दलों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक दल में 02 सदस्य थे। प्रत्येक दल ने प्रति दिन कम से कम दो ग्रामों को कवर किया। कुल मिलाकर, पांच दिनों के भीतर एक या अधिक ब्लॉकों में पांच दलों द्वारा न्यूनतम 50 ग्राम कवर किए गए। दल के सदस्य युवा नेतृत्वकर्ताओं, ग्राम पंचायत के प्रधानों और सदस्यों तथा ग्रामों के अन्य मत–निर्माता नेतृत्वकर्ताओं से मिलते और विचार–विमर्ष करते हैं। उन्होंने ने.यु.के.. और इसकी वार्शिक कार्य योजना 2012–13 के संबंध में सूचनाओं का भी प्रसार किया, युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया और विहित प्रपत्र में उनके युवा मंडल की रूप–रेखा को अद्यतन किया। जिन गांवों में युवा मंडल मौजूद नहीं थे अथवा बहुत पहले बनाए गए थे किंतु अब मौजूद नहीं थे या निश्क्रिय थे, वहां नए युवा मंडल भी बनाए गए।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निध ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	1502	1452	165112	58702	223814

'सदस्यों की कुल संख्या का मंडल–वार विवरण अनुलग्. नक–3 पर दिया गया है।

3. युवा मंडल आदान–प्रदान कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य प्रतिभागियों को, षांति और विकास के संवर्धन के लिए उनके अपने परिवेष में प. रवर्तन लाने हेतु युवा मंडल या किसी समुदाय आधारित संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में सक्षम बनाना था। प्रतिभागी देष के विभिन्न भागों में स्थित अन्य ग्रामों

के लोगों की जीवन दषाओं, उनके दैनिक जीवन, परंप. राओं और रिवाजों को भी समझने में समर्थ हो सके। प्रतिभागियों को अपने ग्रामों की प्रगति और विकास के लिए कार्य करने हेतु और उनके क्षेत्र में क्रियाषील असामाजिक और राश्ट्रविरोधी तत्वों एवं समूहों से, यदि कोई हो, दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतिभागी राश्ट्रवाद, भ्रातृत्व, सहयोग की भावना को अपनाने और देष में मौजूद धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के प्रति सम्मान विक. सित करने में सफल रहे।

एक अन्य उद्देष्य युवा मंडल के सदस्यों के यात्रा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना था ताकि उन्हें अपने स्वयं के जीवन और गांवों में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संवेदनषील बनाया जा सके और प्रेरित किया जा सके। इसके पीछे, मेज़बान युवा मंडलों के चल रहे अ. भिनव कार्यक्रमों और गतिविधियों की पहचान करना तथा आस–पास के ग्रामों में चल रही अभिनव प्रौद्योगिकी आध ारित परियोजनाओं तथा योजनाओं की या अन्य युवा मंडलों, गैर–सरकारी संगठनों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी विभागों आदि द्वारा जिले के भीतर मौजूद ऐसी नजदीकी परियोजना स्थलों की पहचान करने का विचार मौजूद था। प्रतिभागी अभिनव प्रौद्योगिकियों और स्थानीय समुदायों, विषेशकर किसानों, षिल्पकारों, स्थानीय उद्यमियों और मे. जबान जिले में स्थित तकनीकी एवं इंजीनियरिंग संस्थानों और उद्योगों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों के बारे में अधिकाधिक जान सके ताकि जब वे वापस अपने गृह ग्राम जाएं, तो अपने जीवन और क्षेत्रों के सुधार के लिए नई जानकारियों को अपना सकें।
युवा मंडल विनिमय कार्यक्रम की अवधि यात्रा अवधि को छोड़कर 5 दिनों की थी। प्रत्येक युवा दल में 10 युवा (यथासंभव समान अनुपात में पुरुश और महिला दोनों) षामिल थे। पांच दिनों के युवा मंडल विनिमय कार्यक्रम के दौरान, मेजबान युवा मंडल ने खेल–कूदों, सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया और उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समुदाय विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं, यथा वृक्षारोपण, कार्य षिविर, ग्राम स्वच्छता अभियान इत्यादि में अतिथि आगंतुकों को भी षामिल किया। गांव के वरिश्ठजनों, मत–निर्माता नेतृत्वकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं के साथ परस्पर क्रियात्मक सत्र चलाए गए और संसाधन मानचित्रण के निश्कर्शों, पीआरए और कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा, मेज. बान युवा मंडल द्वारा 10 दिनों की ग्राम नियोजन अवधि में से 02 दिनों के दृष्यावलोकन की भी व्यवस्था की गई। प्रतिभागियों ने क्षेत्र के चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, ऐतिहासिक स्थलों, और पर्यटक स्थलों, षैक्षणिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय स्थापनाओं जैसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थानों का भी दौरा किया। 100 मेजबान जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक को कार्यक्रम के आयोजन हेतु 33,000/– रूपये प्रदान किए गए।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निध ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरुश	महिला	योग
2012-13	100	95	659	249	908

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–4 पर दिया गया है।

4. युवा मंडलों हेतु खेलकूद सामग्रियों का प्रावधान

ग्रामीण युवाओं के बीच खेलकूद की संस्कृति का विकास इस कार्यक्रम का सर्वाधिक आवष्यक घटक है। इस कार्यक्रम के अधीन, मूलभूत खेलकूद सामग्रियों की खरीद के लिए युवा मंडलों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि युवा मंडलों द्वारा नियमित आधार पर खेलकूद गतिविधियां

चलाई जाएं। खेलकूद सामग्रियां उन युवा मंडलों को प्रदान की गईं जो नियमित आधार पर खेलकूद गतिविधियां आयोजित करने वाले और हाल में ने.यु.के.. के कम से कम एक खेलकूद कार्यक्रम को आयोजित/में प्रतिभागिता कर चुके जिला ने.यु.के.. से संबद्ध हैं। युवा मंडल का चयन जिला युवा समन्वयक की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्व ारा किया गया। प्रत्येक चयनित युवा मंडल को 4000/– रूपये तक की खेलकूद सामग्री प्रदान की गई।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2012-13	15190	14797

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–5 पर दिया गया है।

5. जिला युवा सम्मेलन

इस कार्यक्रम का उद्देष्य युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्र. ाम के इतिहास और षिक्षा से अवगत कराना, उन्हें राश्ट्रीय

चिंताओं के प्रति सजग बनाना, और युवाओं को कल्याण विकास और अवसरों तक पहुंच से संबंधित मुद्दों के माध्यम से राश्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को समझने में सहायता करना और विभिन्न मंत्रालयों, अभिकरणों और विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में उन्हें जानकारी प्रदान करना था।
सम्मेलन की अवधि पुरुश और महिला श्रेणियों में से न्यूनतम 100 युवाओं की प्रतिभागिता के साथ एक दिन थी।
सम्मेलन के प्रतिभागियों ने ग्रामीण उत्थान से संबंधित सभी मामलों में और युवा कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं हेतु परिणामों के प्रलेखन के लिए ग्राम समुदायों के सदस्यों के साथ विचार–विमर्ष किया। युवा प्रतिभागियों को प्रे. रित करने और विकास के विभिन्न पहलुओं में उनकी भूमिका को स्पश्ट करने के लिए उन्हें संबोधित करने हेतु विषेशज्ञ आमंत्रित किए गए। जिला स्तर पर युवा सम्मेलन आयोजित करने के लिए 623 जिला ने.यु.के.. में से प्रत्येक को 25,000/–रूपये प्रदान किए गए।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निध ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरुश	महिला	योग
2012-13	623	614	86134	48647	134781

'जिला युवा सम्मेलनों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–6 पर दिया गया है।

6. महिलाओं हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी)

यह कार्यक्रम महिलाओं के व्यावसायिक कौषलों को बढ़ाने और उन्हें स्व–रोजगार प्राप्त करने में मदद करने का लक्ष्य रखता था। इन प्रषिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, महिलाओं के व्यावसायिक कौषलों में वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम ने महिला प्रतिभागियों को अपने मौजूदा व्यवसाय में अपनी आय को बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और उन नए कौषलों को सीखने में, जिनके लिए बाजार में अच्छी मांग है, समर्थ बनाया।
140 महिलाओं के न्यूनतम नामांकन के साथ न्यूनतम 05 कौषल उन्नयन प्रषिक्षण केंद्र चलाने के लिए, चयनित 606 जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक को 78,000/–रूपये की धनराषि प्रदान की गई। प्रषिक्षण की अवधि चयनित पेषे के प्रकार पर आधारित थी। अतः, जिला युवा समन्वयकों ने संबंधित तकनीकी विषेशज्ञों या संस्थाओं के परामर्ष से चयनित पेषों के लिए अवधियां निर्धारित की। दीर्घावधिक एसयूटीपी की अधिकतम अवधि 6 महीनों की थी। इसी प्रकार अल्पकालिक एसयूटीपी की अधिकतम अवधि 30 दिनों की थी।

606 जिला ने.यु.के.. केंद्रों के जिला युवा समन्वयकों ने एक ओर ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय जरूरतों और दूसरी ओर कच्चे माल और बाजार की उपलब्धता के अनुसार पेषों/धंधों की पहचान की। ये प्रषिक्षण पाठयक्रम लघु उद्योगों, एटीडीसी, केवीके, केवीआईसी, डीआरडीए, डीआ. ईसी, कृशि विष्वविद्यालय विस्तार सेवाओं, इत्यादि समेत संबंधित विकासात्मक अभिकरणों/संस्थानों के समन्वय में आयोजित किए गए। प्रषिक्षण के मुख्य क्षेत्र में उन्नत कृशि पद्धतियां, मोमबत्ती, साबुन और गुडियां बनाना, भेड़ और बकरी पालन, रेषम उत्पादन, पुश्पकृशि, कटाई और सिलाई, जूते बनाना, क्षेत्र का पारंपरिक हस्तषिल्प, कृशि आधारित परियोजनाएं यथा मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कीटपालन, अंगोरा खरगोष पालन, डेयरी विकास, मषरूम की खेती, मत्स्य पालन, रेषम उत्पादन, नकदी फसलें, इत्यादि षामिल है।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूष	महिला	योग
2012-13	84840	80340	0	80340	80340

'प्रषिक्षण कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–7 पर दिया गया है।

7. परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन सेंटर (एटीड.ीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

ने.यु.के..सं.– एटीडीसी सहयोग चयनित जिलों में 2012–13 के दौरान प्रारंभ हुआ। कौषल प्रषिक्षण कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर उन्नाव और बाराबांकी जिलों में पूरा किया गया और बाद में इसका उ.प्र., दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराश्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेष, तमिलनाडु और पष्चिम बंगाल के राज्यों को कवर करते हुए कुल 69 जिलों में विस्तार किया गया।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2012-13	4380	4373

'प्रषिक्षण कार्यक्रमों का राज्य और मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–8 पर दिया गया है।

8. तनाव और संघर्ष प्रबंधन पर फोकस के साथ जीवन कौशल शिक्षा

यह कार्यक्रम किषोरों और युवाओं के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास को संभव बनाने के लिए और उन्हें दैनिक जीवन में पेष आ रही समस्याओं पर विजय पाने हेतु समर्थ बनाने के लिए दस मुख्य जीवन कौषलों के विषेश संदर्भ में उनके लिए आयोजित किया गया। जीवन कौषल प्रषिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों में सकारात्मक मुखर व्यवहार और संवाद कौषल उत्पन्न किया। उन्होंने प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का महत्व सीखा। जीवन कौषल प्रषिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में तनाव को कैसे संभालना होता है और अन्य लोगों से झगड़ों से कैसे बचा जा सकता है।

यह कार्यक्रम 3 दिन की अवधि का था जिसमें 30 पुरुश और महिला युवाओं की भागीदारी थी। प्रति कार्यक्रम 15,000/–रूपये आबंटित किए गए।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्ष	निधारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूष	महिला	योग
2012-13	930	899	20883	15716	36599

'प्रषिक्षण कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–9 पर दिया गया है।

9. ब्ल०क और जिला लोक सांस्कृतिक उत्सव

ब्लॉक और जिला स्तर पर लोक सांस्कृतिक उत्सव का लक्ष्य लोक नाटकों, लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक संगीतों इत्यादि के विषेश संदर्भ में लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम राश्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भावना और षांति की भावना को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवेष के और पूर्ण कालिक जिला युवा समन्वयकों को रखने वाले 290 जिला ने.यु. केंद्रों में षुरू किया गया।
यह कार्यक्रम एक या दो दिनों की अवधि का था जिसमें न्यूनतम 10–15 सांस्कृतिक दलों की भागीदारी थी। ब्लॉक और जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करने के लिए 290 जिला ने.यु. केंद्रों को क्रमषः 10,000/–रूपये और 20,000/–रूपये आबंटित किए गए।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्ष	निध्ाारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूष	महिला	योग
ब्लॉक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम					
2012-13	1502	1472	181296	140921	322217
जिला लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम					
2012-13	290	284	57579	41693	99272

प्रषिक्षण कार्यक्रमों के मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–10 और 11 पर दिए गए हैं।

10. राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह तथा महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह को मनाने के साथ–साथ साक्षरता दिवस, विष्व एड्स दिवस जैसे विषेश दिवस/सप्ताह से जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में जागरूकता फैलाने का केंद्रीय लक्ष्य रखता था। सभी जिला ने.यु.के.. केंद्रों द्वारा, प्रति कार्यक्रम 100 युवाओं की न्यूनतम भागीदारी सुनिष्चित करते हुए, ऐसे न्यूनतम 10 दिवसों को मनाया जाना था। 623 जिला ने.यु.के.द्रों में से प्रत्येक को 40,000/–रूपये दिए गए।
इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्ष	निध्ाारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	6230	6322	688370	435700	1124070

'राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों को मनाए जाने का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–12 पर दिया गया है।

11. युवाओं के लिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी (युवा कृति)

इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवा व्यक्तियों की अंतर्भूत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक और ग्रामीण हस्तषिल्पों को लोकप्रिय बनाना, ग्रामीण षिल्पों के लिए विक्रय केंद्र विकसित करना था। यह कार्यक्रम पूर्णकालिक जिला युवा समन्वयक रखने वाले 290 जिलों में षुरू किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिनों की अवधि का था जिसमें न्यूनतम 50 युवा निश्पादकों (प्रदर्षनीकारों) की भागीदारी थी। न्यूनतम 25 प्रदर्षनी स्टॉल स्थापित किए गए। 290 जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक को 20,000/–रूपये दिए गए।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूष	महिला	योग
2012-13	290	276	38073	26760	64833

'युवा कृति का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–13 पर दिया गया है।

12. युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समिति की बैठकें (डी.ए.सी.वाई.पी.)

यह गतिविधि अपने आप में कोई युवा कार्यक्रम नहीं है, किंतु कार्य हेतु स्थानीय समन्वय प्राप्त करने के लिए और जिला प्रषासन द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों के साथ ने.यु.के.. का संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्रगत कार्यकर्ताओं हेतु यह सर्वाधिक अनिवार्य चीजों में से एक है। युवाओं को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, ने.यु.के.. जिला स्तर पर जिला प्रषासन, जिला प्राधिकारी, प्रतिश्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा नेतृत्वकर्ताओं के साथ मार्गदर्षन और सुविधा प्राप्त करने के लिए संपर्क विकसित करता है।
उपर्युक्त स्वरूप के वांछित समन्वय को प्राप्त करने के लिए ने.यु.के. द्वारा प्रत्येक जिले में युवा कार्यक्रमों के लिए जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) का गठन किया जाता है। डी.ए.सी.वाई.पी. की बैठकें करना अनिवार्य है जिसके लिए इसके सदस्य सचिव, अर्थात ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक द्वारा पहल की जानी होती है। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त इस बैठक की अध्यक्षता करता है और जिले के अन्य विकास अधिकारी चेयरमैन के आदेष से बैठक में भाग लेते हैं। इसी

प्रकार युवा संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) प्रत्येक राज्य में गठित की गई है।
न्यूनतम 02 बैठकें आयोजित करने के लिए 623 जिला ने.यु.के.द्रों में से प्रत्येक को 1,000/–रूपये की दर से 2,000/–रूपये दिए गए। यह धनराषि फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, कलम, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ, इत्यादि समेत जलपान तथा अन्य संगठनात्मक व्ययों हेतु उपयोग की गई।
आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित हैं:

वर्ष	निध्ाारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	ठमदमपिबपंतपमे		
			पुरूष	महिला	योग
2012-13	1246	964	6890	2495	9385

डीएसीवाईपी की तिमाही बैठकों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–14 पर दिया गया है।

13. दस्तावेजीकरणः

इस कार्यक्रम का उद्देष्य प्रत्येक केंद्र में कार्यक्रमों और गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव करना है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक केंद्र को रिकार्डों को अद्यतन रखना होता है और केंद्र की वार्शिक रिपोर्ट को तैयार करना और मुद्रित करवाना होता है। ने.यु.के.सं. की सभी गतिविधियों की एक मुद्रित वार्शिक रिपोर्ट इस कार्यक्रम का प्रत्याषित परिणाम है। इस रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक केंद्र में पांच वर्शों के लिए अनिवार्य रिकार्ड के रूप में रखी जानी होती है।
जिला युवा समन्वयकों को गुणात्मक और स्वच्छता से टंकित प्रलेखन पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए कहा जाता है। प्रलेख प्रयोक्ता के लिए इस प्रकार सुविधाजनक होने चाहिए कि इसमें कार्यक्रम के विवरणों समेत जिले की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं षामिल की गई हो। प्रलेखन उद्देष्यों के लिए 623 जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक को 5,000/–रूपये दिए गए। सभी जिला ने.यु.के.. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यक्रम और गतिविधियों का प्रलेख तैयार करते हैं और अपने संबंधित मंडल कार्यालयों में वार्शिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं।

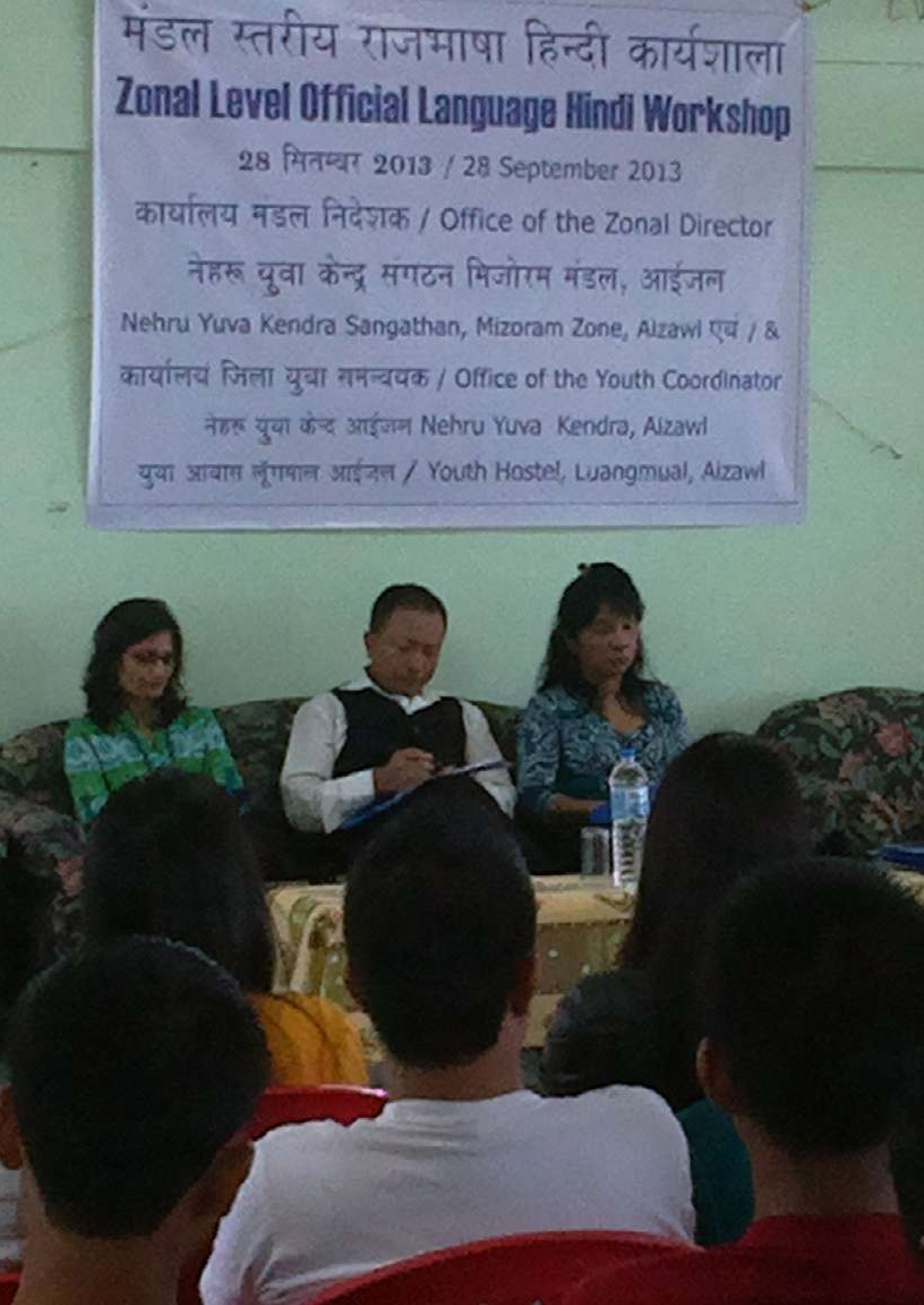
मंडल स्तरीय राजभाषा हिन्दी कार्यशाला
Zonal Level Official Language Hindi Workshop
28 सितम्बर 2013 / 28 September 2013
कार्यालय मंडल निदेशक / Office of the Zonal Director
नेहरू युवा केन्द्र संगठन मिजोरम मंडल, आईजल
Nehru Yuva Kendra Sangathan, Mizoram Zone, Aizawl एवं / &
कार्यालय जिला युवा समन्वयक / Office of the Youth Coordinator
Nehru Yuva Kendra, Aizawl
Youth Hostel, Luangmual, Aizawl

राजभाषा प्रतिवेदन

राजभाशा विभाग, गृह मंत्रालय और युवक कार्य और खेल मंत्रालय के दिषानिर्देषों के अनुसार राजभाशा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए गए।

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकः

राजभाशा विभाग के निर्देष के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेषक की अध्यक्षता में वर्श 2012–13 के दौरान दो बैठकें (28–06–2012 और 06–12–2012) आयोजित की गई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और बै. ठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देष जारी किए गए।

2. राजभाषा निरीक्षणः

वर्श 2012–13 के दौरान, राजभाशा संबंधी संसदीय समि. ति द्वारा ने.यु.के.सं.मुख्यालय, ने.यु.के.. मुंबई, कावारत्ती और लक्षद्वीप कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। राजभाशा विभाग, गृह मंत्रालय ने भी ने.यु.के..सं मुख्यालय का निरीक्षण किया। मंडल निदेषकों/उप निदेषकों द्वारा 106 ने.यु.के.. जिला कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

3. हिन्दी कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजनः

हिन्दी भाशा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभि. न्न स्थानों पर पांच कार्यषालाओं और दो सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनका विवरण निम्नलिखित है–

कार्यषालाएं

- कठुआ, जम्मू और कष्मीर में 20.10.2012 को आयोजित
- कूच बिहार, पष्चिम बंगाल में 23/24.12.2012 को आयोजित
- कोहिमा, नागालैंड में 14.9.2012 को आयोजित
- रांची, झारखंड में 15.3.2013 को आयोजित
- हैदराबाद, आंध्र प्रदेष में 20.2.2013 को आयोजित
- गुवाहाटी, असम में 30.1.2013 को आयोजित

सम्मेलन

- रायपुर, छत्तीसगढ़ में 12.12.2012 को आयोजित
- यमुना नगर, हरियाणा में 14.12.2012 को आयोजित

4. प्रोत्साहन योजना

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2012–13 के दौरान 17 अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

5. हिन्दी दिवस/पखवाड़ा मनाया जाना

ने.यु.के.सं.ने मुख्यालय में और साथ ही क्षेत्रगत कार्यालयों में 14 से 28 सितंबर, 2012 तक हिन्दी दिवस/पखवाड़ा मनाया। पखवाड़े के दौरान मुख्यालय में हिंदी सुलेख, हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध लेखन और स्लोगन लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सभी कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महानिदेषक द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

हिंदी दिवस/पखवाड़ा क्षेत्रगत कार्यालयों द्वारा भी मनाए गए। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे हिंदी दिवस, राजभाषा प्रदर्षनी, हिंदी सुलेख, कविता पाठ, कवि सम्मेलन, हिंदी वाद–विवाद, रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम पत्रकार और साहित्यकार सम्मेलन इत्यादि। 4599 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 129007 युवाओं ने भाग लिया।

17 मेट्रो/शहरी जिला ने.यु.के.सं. हेतु विशिष्ट कार्यक्रम

पहली बार, विषेशकर षहरी युवाओं की स्थानीय जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के. सं.हेतु कुछ कार्यक्रम डिजाइन किए गए। इनके विवरण निम्नलिखित हैं–

1. युवा सुविधा केंद्र (वाईएफसी)

इस कार्यक्रम का उद्देष्य किषोरों और युवाओं को विभिन्न युवा संबंधी मुद्दों, उनकी करियर प्रगति के अवसरों, पर्याप्त प्रषिक्षण, मार्गदर्षन, और परामर्ष सेवाओं से परिचित कराने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

युवाओं को प्रेरित करने विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस प्रदान करने के लिए इंटरनेट समर्थित कम्प्यूटर सिस्टम, समसामयिक मुद्दों और सामान्य ज्ञान संबंधी पत्रिकाओं और सूचनापत्रों, विभिन्न कौषल विकास/कल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं और रोजगार अवसरों, मनोरंजन गतिविधियों, करियर परामर्षों और मार्गदर्षन समेत अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के. केंद्रों में से प्रत्येक को उनके जिलों में वाईएफसी की स्थापना के लिए 1,00,000/–रूपये दिए गए।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

वर्श	निधारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	17	17	2470	1821	4291

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–15 पर दिया गया है।

2. संस्थागत छवि निर्माण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम ने.यु.के.सं. के छवि निर्माण, ने.यु.के. कार्यक्रमों के समर्थन और युवाओं के विकास पर मुख्य रूप से केन्द्रित है। प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 5 दिन थी। 10 सदस्यों को 05 दलों में विभाजित कर दिया गया जिसमें प्रत्येक दल में 02 सदस्य थे। प्रत्येक दल ने प्रति दिन न्यूनतम दो सोसायटियों/कॉलोनियों/गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को कवर किया। पांच दलों द्वारा पांच दिनों के भीतर एक या अधिक वार्डों में न्यूनतम 50

षहरी मलिन बस्तियों/ग्रामों को कवर किया गया। दल के सदस्यों ने युवा नेतृत्वकर्ताओं, वार्ड प्रधानों और सदस्यों तथा अन्य मत–निर्माताओं से मुलाकात की और विचार–विमर्ष किया। उन्होंने ने.यु.के.. और इसकी वार्शिक

कार्य योजना 2012–13 के संबंध में सूचनाओं का भी प्रसार किया, युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया और उनके युवा मंडल की रूपरेखा को विहित प्रपत्र में अद्यतन किया। जिन वार्डों/कॉलोनियों में युवा मंडल मौजूद नहीं थे अथवा बहुत पहले बनाए गए थे किंतु अब मौजूद नहीं थे या निश्क्रिय थे, वहां नए युवा मंडल भी बनाए गए।

17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक को अपने जिलों में ऐसे 04 कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 15,000/–रूपये की दर से 60,000/–रूपये दिए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्श	निध्ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	68	60	3676	3428	7104

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–16 पर दिया गया है।

3. चरित्र निर्माण, नेतृत्व एवं नशीली दवा के दुश्परिणाम पर विशेष ध्यान के साथ कार्यशाला

यह कार्यक्रम युवाओं में उच्च नैतिक मूल्यों का विकास करने, उनके नेतृत्व के गुणों का विकास करने और ड्रग और एल्कोहल के उपयोग से दूर रहकर स्वस्थ जीवन षैलियां अपनाने के अत्यधिक महत्व को समझाने का लक्ष्य रखता था। 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के.. केंद्रों में से प्रत्येक ने, दिलचस्पी रखने वाले 30 युवाओं के भागीदारी के साथ, 5 दिनों की अवधि का एक कार्यक्रम आयोजित किया। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 27,500/–रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया। प्रतिभागियों में वितरित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों की सहायता से अग्रिम रूप से संसाधन सामग्री विकसित कर ली गई।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्श	निध्ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	17	16	532	495	1027

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–17 पर दिया गया है।

4. नागरिक जागरूकता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम नागरिक उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के संबंध में युवाओं को सजग बनाने का लक्ष्य रखता था। ये कार्यक्रम रक्तदान, नषीली दवाओं की लत छुड़ाने, नेत्रदान, बिजली बचाने, पॉलिथीन की थैलियों के प्रयोग के विरूद्ध अभियान, वृक्षारोपण, पल्स पोलियो, मतदाता जागरूकता, पटाखों के विरूद्ध अभियान जैसे मुद्दों के संबंध में निवासी कल्याण संघों (आरडब्लयूए), गैर–सरकारी संगठनों, षैक्षणि

ाक संस्थानों, मंडलों, सरकारी अभिकरणों के समर्थन से चलाए गए।

आईईसी सामग्री तथा अन्य सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अभिकरणों की मदद लेने के लिए उनके साथ घनिश्ठ संपर्क स्थापित किया गया, जैसे वृक्षारोपण अभियान के मामले में वन विभाग के साथ संपर्क। यह कार्यक्रम भारतीय विषिश्ट पहचान प्राधिकरण (यू.ए.आई.डी.ए.आई.) द्वारा यथा प्रारंभ किए गए यू.आई.डी./आधार कार्ड हेतु निवासियों के पंजीकरण के लिए जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित था। प्रति कार्यक्रम 10,000/–रूपये निर्धारित किए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्श	निध्ारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	17	17	2395	1409	3804

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–18 पर दिया गया है।

5. योग और शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम षारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए षुरू किया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल युवाओं के जीवन का तनाव–मुक्त किया, बल्कि उन्हें अपने षरीर और मस्तिश्क को स्वस्थ रखने में भी समर्थ बनाया। षहरी युवा इस गतिविधि के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र की ओर आकर्शित हुए।

17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के.द्रों में से प्रत्येक को किसी

योग विषेशज्ञ/संसाधन व्यक्तियों की सहायता से 03 योग षिविरों/षारीरिक स्वस्थता षिविरों का आयोजन करना था। योग और षारीरिक स्वस्थता के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए निवासी कल्याण संघों, गैर–सरकारी संगठनों, स्व–सहायता समूहों को षामिल करने की कार्यपद्धति अपनाई गई। प्रति कार्यक्रम 2,000/–रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	51	51	1143	819	1962

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–19 पर दिया गया है।

6. हस्तशिल्प मेला और लोक गीत समारोह

इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवा व्यक्तियों की अंतर्भूत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक और ग्रामीण हस्तषिल्पों को लोकप्रिय बनाना, ग्रामीण षिल्पों के लिए विक्रय केंद्र विकसित करना था। इसके साथ–साथ, सांस्कृतिक सम. ारोह का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक समरसता, सद्भावना और षांति पर ध्यान केन्द्रित करने पर था। इस कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक विरासत के बहुआयामी पहलुओं को रेखांकित किया गया और लोक गीतों, लोक नृत्यों और लोकसाहित्य को उजागर किया गया। युवा ला. `गों को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्षन करने के लिए अवसर प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु.के.. केंद्रों में चलाया गया। यह कार्यक्रम 02 दिनों की अवधि का था जिसमें न्यूनतम 50 युवा सांस्कृतिक कला. कारों और 50 युवा प्रदर्षनीकारों (02 युवा प्रति प्रदर्षनी स्टॉल) ने भाग लिया। हस्तषिल्प मेला और लोकसाहित्य समारोह के आयोजन के लिए 17 मेट्रो/षहरी जिला ने.यु. के.. केंद्रों में से प्रत्येक को 50,000/–रूपये प्रदान किए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित है:

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
2012-13	17	17	1109	1196	2305

'हस्तषिल्प मेला और लोकसाहित्य समारोह का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–20 पर दिया गया है।

राज्य/मंडल स्तरीय नियमित कार्यक्रम 2012–13

1. राज्य युवा महोत्सव (राज्य युवा सम्मेलन (सुविचार), राज्य युवाकृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य युवा मंडल पुरस्कार का वितरण)

इस कार्यक्रम का उद्देष्य ने.यु.के.. केंद्रों और इसके कार्यक्रम की छवि का निर्माण करना, स्थानीय प्रतिभा को दर्षाना और भारत की कलाओं, षिल्पों, परंपराओं और सांस्कृतिक

विरासत का परिरक्षण/संवर्धन करना, एसयूटीपी केंद्रों में महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्षन करना और युवा मंडलों/महिला मंडलों को अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है।

प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 दिन थी। कार्यक्रम के दौरान, युवा सम्मेलन और पैनल चर्चाओं के माध्यम से सुविचार, राज्य सरकार के अभिकरणों/गैर–सरकारी संगठनों/एसयूटीपी केंद्रों/कॉरपोरेट घरानों/प्रषिक्षण संस्थानों इत्यादि की सहायता से युवाकृति, विभिन्न जिलों और विभागों के दलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य युवा मंडल पुरस्कार और खाद्य समारोह जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मुख्यतया राज्यों की राजधानी या ऐसे अन्य प्रमुख जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया जहां अपेक्षित अवसंरचनाएं उपलब्ध थीं। मंडल कार्यालयों को दिसंबर के माह में इस कार्यक्रम को आयोजित करने की सलाह दी गई ताकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एन.वाई.एफ.) के लिए युवाकृति दलों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयन किया जा

सके। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजनकर्ता समितियां, युवाकृति, सुविचार, और युवा मंडल पुरस्कार, खाद्य समारोह और मनोरंजक गतिविधियों का गठन किया गया जिसमें राज्य सरकार, गैर–सरकारी संगठनों, मत–निर्माता नेतृत्वकर्ताओं इत्यादि के प्रतिनिधियों को षामिल किया गया।

चवजव

उद्घाटन और विदाई समारोहों के दौरान, लोक प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों, मंत्रियों, विधायकों, राज्य सरकार/प्रषासन के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया। ने.यु.के.. केंद्रों के विभिन्न हैसियतों वाले और अब समाज/सरकार में विषेश स्थान रखने वाले एसोसिएटों (ने.यु.के.सं.के सेवानिवृत्त अधिकारी इत्यादि) को महोत्सव के दौरान सम्मानित किया गया। जिला युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, जिला युवा मंडल पुरस्कार प्राप्त. कर्ताओं, पूर्व–नेषनल सर्विस वॉलेन्टियरों (एन.एस.वी.), पूर्व–नेहरू युवा साथियों (एन.वाई.एस.), पूर्व–राश्ट्रीय युवा कॉर्प्स (एन.वाई.सी.), स्वयंसेवक युवा मंडलों, मेंटर युवा मंडलों को भी राज्य सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। आम जनता के लिए कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने हेतु, कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों से दलों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में एक उत्सव का माहौल लाने के लिए रोमांचक खेलकूदों, मैजिक षो, झूलों इत्यादि जैसी अन्य मनोरंजक गतिविधियों को भी आयोजित किया गया।

राज्य युवा महोत्सव हेतु कार्यक्रमों के संचालन के लिए 28 मंडलों में से प्रत्येक को राज्य युवा सम्मेलन (सुविचार) हेतु 1.00 लाख रूपये, राज्य युवा मंडल पुरस्कार हेतु 25,000/–रूपये, मंडल में कार्य कर रहे जिला ने.यु.के.. केंद्रों की संख्या के आधार पर 2.50 लाख रूपये से 6.00 लाख रूपये तक और संगठनात्मक व्ययों हेतु 50,000/–रूपये दिए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

वर्श	निधारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थी		
			पुरूश	महिला	योग
युवाकृति और राज्य सांस्कृतिक महोत्सव					
2012-13	28	27	4212	2768	6980
राज्य युवा सम्मेलन (सुविचार)					
2012-13	28	27	3509	2097	5606

’कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–21 और 22 पर दिया गया है।

2. समीक्षा सह योजना–निर्माण बैठक

समीक्षा सह योजना–निर्माण बैठक आयोजित करने का उद्देष्य ने.यु.के.. केंद्रों के चालू कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना और सभी संगत मुद्दों पर सहमति को प्राप्त करके रचनात्मक हस्तक्षेपों के साथ प्रगति को मॉनीटर करना, युवा विकास के लिए अभिनव परियोजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाना, और युवा मंडलों/महिला मंडलों के विद्यमान नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों को सुझाना है और युवा विकास के लिए सरकार (राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों) की चालू योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं साझा करना और समन्वय को त्वरित बनाना है।

चैवजव

इस कार्यक्रम के अधीन, आकस्मिकता योजना और जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन हेतु रणनीति को तैयार और निश्पादित किया गया। युवा मंडलों द्वारा की जाने वाली वर्श भर की गतिविधियों को निर्धारित किया गया और गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित की गई।

मंडल निदेषक ने आवष्यकता और अपेक्षा के अनुसार न्यूनतम 04 बैठकें आयोजित की। प्रत्येक बैठक की अवधि एक दिन थी। मंडल में कार्यरत सभी उपनिदेषकों और जिला युवा समन्वयकों को बैठकों में आमंत्रित किया गया था। प्रति बैठक और मंडल के प्रति उपनिदेषक एवं जिला युवा समन्वयक 200/–रूपये मंडल कार्यालयों को दिए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2012-13	112	108

’कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–23 पर दिया गया है।

3. युवा कार्यक्रमों संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.वाई.पी.) की बैठकें

एस.ए.सी.वाई.पी. युवा विकास के लिए राज्य में सभी हितध ाारकों में अभिसरण हेतु मुख्य भूमिका निभाने के अलावा राज्य विकास अभिकरणों और ने.यु.के.सं.के बीच लुप्त संपर्क को पाटने में भी सहायता प्रदान करता है। एसएसीवाईपी की बैठकों का उद्देष्य संबंधित राज्य सरकार के माननीय युवक कार्य और खेल मंत्री सह अध्यक्ष, एसएसीवाईपी तथा साथ ही राज्य सरकार के विभ. ागों के अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से राज्य स्तर

पर ने.यु.के.. केंद्रों का प्रभावी कार्यकरण, बेहतर कार्यक्रम योजना–निर्माण, समन्वय, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मॉनी. टरिंग सुनिष्चित करना है।

प्रत्येक राज्य में न्यूनतम 02 बैठकों की व्यवस्था करने के लिए 20 मंडलों में से प्रत्येक को 3000/–रूपये की दर से 6000/–रूपये दिए गए। मंडल निदेषकों को भी प्रत्येक तिमाही में बैठकें आयोजित करने के लिए प्रयास करने हेतु कहा गया। यह धनराषि फाइल फोल्डर, रा. इटिंग पैड, कलम, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ, इत्यादि समेत जलपान तथा अन्य संगठनात्मक व्ययों हेतु उपयोग की जानी थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्श	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
2012-13	58	28

'कार्यक्रमों का मंडल–वार विवरण अनुलग्नक–24 पर दिया गया है।

4. दस्तावेजीकरण

–इस कार्यक्रम का उद्देष्य समय–समय पर मंडल कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों के दस्तावेजीकरण का कार्य करना है जिसमें वार्शिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने के विषेश संदर्भ के साथ जिला प्रोफाइल, डेटाबेस, कार्यवाही की फोटो और समाचार पत्रों की कतरनें इत्यादि से संबंधित कार्य षामिल होते हैं। मंडल निदेषकों को गुणात्मक और सफाई से टंकित दस्तावेज की ओर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहा गया। दस्तावेज प्रयोक्ता के लिए इस प्रकार सुविधाजनक होने चाहिए कि इसमें कार्यक्रम के विवरणों समेत राज्य की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं षामिल की गई हो। इसकी कुछ प्रतियां राज्य सरकार के अधिकारियों को भी वितरित की जानी थीं। दस्तावेजीकरण उद्देष्यों के लिए 28 मंडल कार्यालयों में से प्रत्येक को 20,000/–रूपये दिए गए।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों और सप्ताहों का अवलोकन

1. आतंकवाद निरोध दिवस (21 मई)

सभी जिला नेहरू युवा केंद्रों ने ग्राम आधारित युवा मंडलों और महिला मंडलों को षामिल करते हुए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि मनाई। आतंकवाद निरोध दिवस मनाने का उद्देष्य युवाओं में षांति और समरसता को बढ़ावा देना था। आतंकवाद निरोध दिवस मनाने का एक अन्य उद्देष्य भारतीय युवाओं को ऐसी खतरनाक ताकतों से दूर करना है जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं।

जिला ने.यु.के.. केंद्रों ने आतंकवाद के विरूद्ध राश्ट्र के संघर्श में एकजुटता को दर्षाने के लिए और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की याद में, जिनकी मृत्यु से देष को हुई क्षति भी इस भयानक खतरे का ही परिणाम था जिसे आतंकवाद कहा जाता है, षोक स्वरूप दो मिनट का मौन रखा।

इस अवसर पर, सभी 501 जिला नेहरू युवा केंद्रों ने रक्त दान षिविरों का आयोजन किया जिसमें हजारों युवाओं ने बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के लिए स्वेच्छा से अपना रक्त दान किया। रक्त दान षिविर के अतिरिक्त, आतंकवाद के इस निर्दयी कृत्य से उत्पन्न खतरे के संबंध में जागरूकता फैलाने के अभियान के संबंध में विभिन्न संगोश्ठियां भी आयोजित की गई। आतंकवाद निरोधी या हिंसा निरोधी षपथ भी दिलाई गई।

आतंकवाद निरोध दिवस मनाने का मुख्य समारोह कांस्टीटयूषन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह में श्री ऑस्कर फर्नान्डिस, संसद सदस्य, श्री ए. रहमान खान, उप–सभापति, राज्य सभा, श्री जय प्रकाष अग्रवाल, संसद सदस्य, डा. अषोक तंवर, संसद सदस्य, सुश्री मीनाक्षी नटराजन, संसद सदस्य, श्री आर.पी.सिंह, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री बी.पी.सिंह, उपाध्यक्ष, ने.यु.के.सं. ने अपनी उपस्थिति से समारोह की षोभा बढ़ाई और अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में आए और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को पुश्पांजलि अर्पित की। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, पंचायती राज, युवाओं को मतदान का अधिकार और आर्थिक उदारीकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, जो कि मानव द्वारा मानव के विरूद्ध किया जाने वाला सर्वाधिक नृषंस अपराध है, आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और देष के प्रत्येक नागरिक को इस खतरनाक राक्षस को दूर भागने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इस अपराध के विरूद्ध लड़ना प्रत्येक भारतीय का नैतिक कर्तव्य बन गया है। उन्होंने अपील की

कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के विरूद्ध लड़ने के लिए आगे आना चाहिए।
इस अवसर पर, एक विषाल रक्तदान षिविर आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों युवाओं ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया।

2. पं. नेहरू को उनकी 48वीं पुण्य तिथि (27 मई) पर याद किया गया

501 जिला नेहरू युवा केंद्रों नें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को उनकी 48वीं पुण्य तिथि पर स्वर्णिम श्रद्धांजलि दी। श्री बी.पी.सिंह, उपाध्यक्ष, ने.यु.के.सं. ने मंडल कार्यालय, अलीपुर (दिल्ली) में नेहरूजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और राश्ट्र के विकास में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सिंह ने कहा कि नेहरूजी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस अग्रदृश्टा नेता ने धर्मनिरपेक्ष भारत की बुनियाद रखी, श्री सिंह ने कहा। श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए, ने.यु.के.सं.के युवा स्वयंसेवकों ने कहा कि नेहरूजी

विष्व षांति और एकता के प्रतीक थे और उन्होंने देष को आधुनिक और औद्योगिकीकृत बनाने के लिए अग्रणी कदम उठाए।

3. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)

वर्श 1972 से मनाया जा रहा एक वार्शिक कार्यक्रम विष्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति वैष्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित था। इस समारोह के माध्यम से, इस दिवस का लक्ष्य पर्यावरणीय मुद्दों को मानवीय पक्ष देना, और इस समझ को बढ़ाने के अलावा कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति बदलते रवैये के लिए समुदाय केंद्रीय भूमिका रखते हैं, लोगों को वहनीय और समानतापूर्ण विकास के सक्रिय एजेंट बनने के लिए सषक्त बनाना है।

विष्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, जिला नेहरू युवा केंद्रों के साथ संबद्ध युवा मंडलों ने हमारे गांवों और नगरों को हरा–भरा और स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु एक हरित षपथ हस्ताक्षर अभियान चलाया। गांवों में अनेक मंडलों द्वार ग्रैफिटी बोर्ड लगाए गए जिन पर लोगों ने बेहतर पर्यावरण के लिए अपने सुझाव लिखे। ग्रामीणों को पटसन/कपड़े के थैलों का उपयोग करने और पॉलिथीन की थैलियों को न कहने के लिए प्रेरित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया।
पर्यावरण को स्वच्छ, हरा–भरा और प्रदूशण मुक्त रखने के लिए वृक्षारोपण गतिविधियां भी आयोजित की गई। वृक्षों को बचाने के लिए षपथ भी दिलाई गई। इस बाबत एक संदेष ग्रामीणों में फैलाया गया कि न केवल प्रचुर मात्रा में वृक्ष लगाना बल्कि उनकी देखभाल करना और उन्हें बचाना भी हम सभी का कर्तव्य है।
इस अवसर पर, पेंटिंग, ड्राइंग, प्रष्नोत्तरी, स्लोगन लेखन, इत्यादि जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

4. अंतरराष्ट्रीय नशीली दवा के दुश्परिणाम और अवैध व्यापार निरोध दिवस (26 जून)

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने अपने संबद्ध युवा मंडलों के माध्यम से अंतरराश्ट्रीय नषीली दवा कुरीति और अवैध व्यापार निरोध दिवस मनाया। इस अवसर का सार–वाक्य था "नषीली दवाओं के बिना स्वस्थ समुदायों हेतु वैष्विक कार्यवाही "।
युवा मंडलों ने नषीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्षाई। नषीली दवाओं और उनके खतरनाक परिणामों पर प्रदर्षनियां भी आयोजित की गईं। युवाओं को नषीली दवाओं और एल्कोहल का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करने

हेतु प्रतिष्ठित नागरिकों और युवाओं के रोल मॉडलों को आमंत्रित किया गया। वक्ताओं की राय थी कि नषीली दवाओं और अवैध षराब के उपभोग की समस्याओं का समाधान करने के लिए जागरूकता फैलाने और सार्थक नीतियों को कार्यान्वित करने की आवष्यकता है। उन्होंने यह राय अभिव्यक्त की कि यह निराषाजनक बात है कि युवा साथियों के दबाव में षराब का उपभोग कर रहे हैं जो बहुत चिंता का विशय है। उन्होंने कहा कि "भाशण देना आसान है, किंतु हम क्या ठोस कदम उठाते हैं, इसी बात से फर्क पड़ता है।"
इस अवसर पर, युवा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां और नारा लेखन, पोस्टर निर्माण, निबंध लेखन, कोलाज बनाना इत्यादि जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को आकर्शक पुरस्कार प्रदान किए गए।

5. सद्भावना दिवस (20 अगस्त)

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म तिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। सभी धर्मों, भाशाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच राश्ट्रीय एकता और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना सद्भावना का सार था। हर किसी के प्रति सद्भावना और हिंसा का त्याग सद्भावना दिवस का आदर्ष वाक्य था।
इस संबंध में, ग्राम आधारित युवा मंडलों को षामिल करते हुए सभी 623 जिला ने.यु.के. केंद्रों में एक षपथ समारोह का आयोजन किया गया। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जन्म दिवस के उपलक्ष पर राजीव गांधी के जीवन और कार्यों पर प्रदर्षनी, खेलकूद कार्यक्रम, सद्भावना रैलियां, वृक्षारोपण अभियान, प्रतिश्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान–मालाएं इत्यादि आयोजित की गई।

6. हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाना (14 से 28 सितंबर)

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने उत्साह और आनंद के साथ 14 से 28 सितंबर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया। इस अवधि के दौरान, विभिन्न स्तरों पर निबंध लेखन, नारा लेखन, सुलेख, टिप्पण और प्रारूप लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोश्ठियां और कार्यषालाएं इत्यादि समेत अनके प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह पखवाड़ा ग्राम आधारित युवा मंडलों को षामिल करते हुए 623 जिला ने.यु.के.. केंद्रों द्वारा मनाया गया।

7. स्वैच्छिक रक्त दान दिवस (1 अक्तूबर) मनाया जाना

भारत में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और सराहे जाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 1 अक्तूबर, 2012 को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया। हरियाणा राज्य में, पांच जिला ने.यु.के.. केंद्रों ने रक्तदान षिविर के साथ स्वैच्छिक रक्तदान हेतु समर्थन कार्यक्रम भी षामिल किए थे।

जिला ने.यु.के.. केंद्रों ने स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन को सषक्त बनाने के लिए जागरूकता और प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु ग्राम आधारित युवा मंडलों को समर्थन दिया है। इस अवसर पर भाशण, निबंध लेखन, चित्रकला, नारा लेखन इत्यादि समेत कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रतिभा प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह के भाग के रूप में, सैकड़ों स्वैच्छिक रक्तदान षिविर आयोजित किए गए जिनमें पांच हजार से अधिक युवाओं ने बहुमूल्य मानव जीवनों को बचाने के लिए अपना रक्तदान किया।

8. गांधी जयंती (2 अक्तूबर) का आयोजन

2 अक्तूबर 2012 को नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध युवा मंडलों और महिला मंडलों द्वारा "एक दूसरे के प्रति परस्पर सहिश्णुता और आदर" सार–वाक्य के साथ गांधी जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम सद्भावना, भ्रातृत्व की बेहतर समझ और भावनाओं, लोगों और विषेशकर युवाओं के बीच सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के संदेष को फैलाने के उद्देष्य से आयोजित किया गया।

युवा मंडलों और महिला मंडलों के हजारों युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर आयोजित विभिन्न समारोहों में भाग लिया। गांधीजी के पसंदीदा गीतों, सूफी, भक्ति गीतों और चलते चरखों के साथ गूंजता आयोजन स्थल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की यादों के साथ देषभक्ति और राष्ट्रवाद के एक भावनात्मक रूप से आवेषित परिवेष में परिवर्तित हो गया था। कार्यक्रम युवा गायकों द्वारा प्रस्तुत सर्व धर्म प्रार्थना से प्रारंभ हुए। स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रहियों की याद को ताजा करने के लिए "वैश्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे", गांधीजी के पसंदीदा गीतों और भजनों को गाया गया। कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रभात फेरी, सर्व धर्म प्रार्थना, गांधीजी के जीवन और कार्यों पर फोटो प्रदर्षनी, जागरूकता अभियान, वाल राइटिंग, स्वच्छता–सह–वृक्षारोपण अभियान, कार्य षिविर (सामुदायिक विकास कार्यक्रम), ग्राम सभा की बैठक, निबंध, चित्रकला, भाशण, वाद–विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आज के समाज में अहिंसा की आवष्यकता और औचित्य के संबंध में रैलियों का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त, गांधी के जीवन और दर्षन, सद्भाव और भाईचारा, पंचायती राज और ग्राम स्वराज, ग्रामीण आत्म–निर्भरता, ग्राम स्वच्छता का महत्व, पर्यावरण को बेहतर बनाने और ग्राम विकास में युवाओं की भागीदारी जैसे विशयों पर विषेशज्ञों द्वारा व्याख्यान और समूह चर्चाएं भी आयोजित की गईं। 2 अक्तूबर, 2012 को गांधी जयंती समारोह के दौरान साम्प्रदायिक समरसता हेतु षपथ भी दिलाई गई।

9. सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2012 मनाया जाना (29 अक्तूबर से 3 नवंबर)

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 29 अक्तूबर से 3 नवंबर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के सम्पूर्ण जिला केंद्रों में, षपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर बैनर प्रदर्षित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सतर्कता जागरूकता से संगत विशयों यथा, भ्रश्टाचार के विरूद्ध युवा, ने.यु.के.सं./सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्षिता, 'सूचना का अधिकार', समाज के लिए मूल्य आधारित सेवाओं का प्रावधान तथा अन्य संगत विशयों पर कक्षाएं आयोजित की गईं। प्रत्येक जिले में युवा मंडलों और महिला मंडलों के माध्यम से संगोश्ठियां और चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

10. ने.यु.के.सं.और कौमी एकता दिवस (19 नवंबर) की रजत जयंती का मनाया जाना

एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन के निर्माण की रजत जयंती मनाने के लिए, कांस्टीटयूषंन मंडल एनेक्सी हॉल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में 19 नवंबर,

2012 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 3000 युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर, पिछले 25 वर्शों के दौरान ने.यु.के.सं. की यात्रा और उपलब्धियों को दर्षाने वाली प्रदर्षनी लगाई गई। ने.यु.के.सं. के इतिहास, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर एक लघु वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया गया। युवाओं को साम्प्रदायिक समरसता की षपथ दिलाई गई।

श्री ऑस्कर फर्नान्डिस, माननीय संसद सदस्य और अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, डा. एस.वाई. कुरैषी, भूतपूर्व डी.जी., ने.यु.के.सं.और भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवक मामले और खेल, भारत सरकार, सुश्री नीता चौधरी, सचिव (युवक कार्य) ने इस अवसर की षोभा बढ़ाई।

जिला ने.यु.के.सं. ने भी 19 से 25 नवंबर, 2012 तक ग्राम आधारित युवा मंडलों और महिला मंडलों को षामिल करते हुए बहुत उत्साह और आनंद के साथ कौमी एकता सप्ताह मनाया।

11. विश्व एड्स दिवस (1 दिसंबर)

प्रत्येक वर्श 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला विष्व एड्स दिवस एच.आई.वी. संक्रमण के फैलने से उत्पन्न होने वाली एड्स महामारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के प्रति समर्पित है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने ग्राम आधारित युवा मंडलों और महिला मंडलों के माध्यम से देष के 623 जिलों में विष्व एड्स दिवस मनाया। एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता पैदा करने और इसके फैलाव को रोकने के लिए निबंध, चित्रकला, भाशण, वाद–विवाद प्रतियोगिता, कार्यषालाओं और संगोश्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों इत्यादि का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, एच.आई.वी./एड्स के विभिन्न पहलुओं और स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर व्याख्यान और समूह चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

12. राष्ट्रीय युवा दिवस और युवा सप्ताह मनाया जाना (12 से 19 जनवरी)

12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में और 13 से 19 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में अत्यंत हर्शोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्श ने.यु.के.सं.ने जिला प्रषासन, युवा मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के समन्वय से स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई। इस वर्श का कार्यक्रम मुख्य रूप से जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित था। ने.यु.के.सं.ने रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से देषभर में 12 जनवरी, 2013 को आयोजित किए गए रक्तदान षिविर में अपनी पूरी ताकत से भाग लिया।

पूरे सप्ताह चले समारोहों के दौरान, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित आदर्षों पर प्रभात फेरी, सर्व धर्म प्रार्थना, श्रमदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूदों समेत विशय–आधारित गतिविधियां, चित्रकला, पोस्टर, वाद–विवाद, भाशण

समेत कई प्रतियोगताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रमों में आम जनता ने और विषेशकर युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

13. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च)

जिला नेहरू युवा केंद्रों ने 8 मार्च, 2013 को अंतरराश्ट्रीय महिला दिवस मनाया। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को सराहने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतिश्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यानों समेत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई।

इस अवसर पर प्रतिश्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्वास्थ्य और षिक्षा, भूमि और संपत्ति अधिकारों, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, यौन उत्पीड़न–महिला को छेड़ना, दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन आधारित गर्भपात, घरेलू हिंसा और अवैध व्यापार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवाओं की भ.ागीदारी से ऐसे मुद्दों का समाधान करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुधारकों की भूमिका को उजागर किया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवा मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया।

विशेष कार्यक्रम

1. नेहरू युवा केंद्र संगठन का रजत जयंती समारोह

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने कौमी एकता दिवस (19 नव. बर) के अवसर पर कांस्टीट्यूषन क्लब, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जो संयोगवष ने.यु.के.सं. का रजत जयंती समारोह वर्श भी है। इस अवसर पर अनेक प्रतिश्ठित व्यक्ति नामतः श्री ऑस्कर फर्नांडिज, संसद सदस्य तथा मानव संसाधन विकास के विशय में स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष, श्री जितेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा एवं खेल मंत्रालय, डा. एस.वाई. कुरैषी, पूर्व महानिदेषक, ने.यु.के.सं. और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुश्री नीता चौधरी, सचिव (वाईए), श्री ए.एस. चीमा (उपाध्यक्ष), सुश्री तिलोत. तमा (उपाध्यक्ष), श्री बी.पी. सिंह (उपाध्यक्ष) और श्री सलीम अहमद, महानिदेषक, ने.यु.के.सं. भी उपस्थित थे।

ने.यु.के.सं. का रजत जयंती वर्श मनाने के क्रम में कांस्टीट्यूषन क्लब, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम 19 नवंबर, 2012 को आयोजित किया गया, जिसमें 3000 युवा नेताओं तथा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा युवा सषक्तिकरण आंदोलन प्रारम्भ किया गया था, ने 1972 में ने.यु.के. योजना प्रतिश्ठापित की और श्री राजीव गांधी द्वारा 1987 में इसे स्वायत्त संस्था बनाया गया। इस अवसर पर, ने.यु.के.सं. की यात्रा और विगत काल में इसकी उपलब्धियों पर एक प्रदर्षनी आयोजित की गई। ने.यु.के.सं. के इतिहास पर एक लघु वृतचित्र, कार्यक्रम तथा गतिविधियां भी दर्षाई गईं। डा. एस.वाई. कुरैषी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को सामुदायिक समरसता की षपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर श्री ऑस्कर फर्नांडिज द्वारा एक विवरणिका का भी विमोचन किया गया। श्री फर्नांडिज ने ने.यु.के.सं.

की स्थापना के परिप्रेक्ष्य और श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी (दोनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) के विजन के बारे में बताया। उन्होंने आगे युवा षक्ति के बारे में विस्तार

से बोलते हुए उनसे अपनी षक्ति का उपयोग सही दिषा में करने का आग्रह किया। सुश्री नीता चौधरी ने सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त समाज के सृजन हेतु युवाओं के समग्र विकास पर बल दिया। युवा एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर अपने भाशण में युवाओं के आगे आने और राश्ट्रीय एकता, सामुदायिक समरसता, स्वयंसेवा भाव तथा उद्यमिता के प्रसार की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने युवाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर और अनौपचारिक बातचीत कर उन्हें प्रेरित किया। श्री सलीम अहमद ने ने.यु.के.सं. की स्थापना के समय से इसके अब तक के गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रकाष डाला। उन्होंने स्वास्थ्य, एचआईवी निवारण, पर्यावरण, षिक्षा, रा. जगार इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजन की उपलब्धियों का वर्णन किया। उन्होंने उन कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का भी वर्णन किया जिनका उद्देष्य युवाओं को सषक्त बनाना तथा उन्हें ज्ञान, मनोवृत्ति तथा कौषल प्रदान करना था ताकि वे राश्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। प्रतिश्ठित गणमान्यों ने देष में ने.यु.के.सं. की भूमिका और इसके षानदार 25 वर्शीय अतीत की सराहना की।

ने.यु.के.सं. द्वारा इस अवसर पर महिला मंडल, होलाम्बी कलां, दिल्ली को राज्य स्तर पर सर्वश्रेश्ठ युवा मंडल का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह महिला मंडल महिला सषक्तिकरण पर विषेश फोकस के साथ सामुदायिक विकास में सक्रिय मंडल है।

2. मंडल की समीक्षा –सह– योजना बैठक

मंडल निदेषकों की एक दिवसीय समीक्षा –सह– योजना बैठक का आयोजन वर्श 2012–13 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा करने तथा युवा मंडल डेटा संग्रहण कार्य के लिए 29 सितंबर, 2012 को दिल्ली में आयोजित की गई।

इस बैठक में ध्वजवाही कार्यक्रमों के अधीन प्रगति, मेंटर युवा मंडलों का चयन और उनकी क्षमता निर्माण, महिलाओं के लिए कौषल उन्नयन प्रषिक्षण कार्यक्रम, खेल सामग्री का क्रय और चयनित युवा मंडलों के मध्य वितरण, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जिला युवा सम्मेलन, महत्वपूर्ण दिवसों को मनाना तथा युवा कृति, राज्य स्तर पर सांस्कृतिक उत्सवों इत्यादि जो ने.यु.के.सं. के आरएफडी 2012–13 में षामिल किए गए हैं, की समीक्षा की गई तथा सभी मंडल निदेषकों को इनका कार्यान्वयन गुणवत्ता सुनिष्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से करने को कहा गया। कौषल विकास संबंधी पहलों की भी समीक्षा की गई तथा कौषल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कारगर ढंग से करने को कहा गया क्योंकि ने.यु.के.सं. यह वर्श कौषल विकास तथा जीविका सृजन वर्श के रूप में मना रहा है।

श्री सलीम अहमद, महानिदेषक द्वारा मंडल निदेषकों को भिन्न भिन्न सरकारी विभागों तथा निधीयन एजेन्सियों के साथ मिलकर राज्य और जिला स्तर पर और अधिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अतिरिक्त निधियां जुटाने का निर्देष दिया गया। उन्होंने आगे सभी कार्यक्रमों का पालन निश्ठा के साथ करने का निर्देष दिया ताकि उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु, उन्हें उन जिलों का विषेश दौरा करने को कहा गया जिनका प्रदर्षन संतोशजनक नहीं रहा है।

3. धरती पर्व (अर्थ फेस्टिवल) मनाने के लिए मेरी धरती मेरा कर्तव्य अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण अभियान

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने धरती पर्व (अर्थ फेस्टिवल) मनाने के सिलसिले में जी न्यूज के साथ सहयोग में मेरी धरती मेरा कर्तव्य अभियान आरंभ किया। इस अभियान के दौरान जिला युवा समन्वयकों ने अपने जिलों के मीडिया को साथ लेकर पर्यावरण निर्माण किया तथा युवा मंडलों/महिला मंडलों से संपर्क कर उनके सदस्यों को इस महत्वपूर्ण अभियान में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए युवा मंडलों के सदस्यों, पंचायती राज कार्यकर्ताओं तथा ओपिनियन लीडर्स के साथ अनौपचारिक बैठकों का भी आयोजन किया। यह अभियान स्वेच्छा के आधार पर तथा स्थानीय संसाधन जुटाकर निश्पादित किया गया।

इस आयोजन की जानकारी लोगों को देने के लिए 01 अगस्त से 14 अगस्त, 2012 के बीच चुनिंदा 06 षहरों में

अभियान चलाए गए। उद्घाटन समारोहों के दौरान सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्षनियां, प्रतिज्ञा, रैलियां इत्यादि प्रमुख गतिविधियां थीं।

इस अभियान का उद्देष्य समाज को जलवायु परिवर्तन के बारे में सुग्राही बनाना तथा उसके प्रभावों के उपषमन की दिषा में ठोस कार्य करना था ताकि जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संबंधी अपक्षय के खतरों से लड़ा जा सके तथा लोगों को उन सरल उपायों के बारे में प्रेरित करना था, जो वे इस धरती को बचाने के लिए अपने नियमित जीवन में एक कर्तव्य के रूप में अपना सकते थे।

ने.यु.के.सं. ने इस अभियान के तहत 15 से 21 अगस्त, 2012 के बीच पौधारोपण अभियान चलाया, जिसमें देष भर में इसके युवा मंडलों तथा महिला मंडलों के माध्यम से भिन्न प्रजातियों के 52,80,565 पौधे लगाए गए। स्वयंसेवकों द्वारा पर्यावरण बचाने की प्रतिज्ञा की गई।

इस अभियान के तहत लगाए गए पौधों का राज्य वार विवरण अनुलग्नक–25 में दिया गया है।

4. एनपीवाईएडी योजना के तहत अंतर युवा मंडल खेल स्पर्धा

ने.यु.के.सं. द्वारा स्थापित युवा मंडलों के बीच ग्रामीण खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा प्रोत्साहन के क्रम में; ग्रामीण भारत में खेल गतिविधियों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया और जीवन षैली बनाने के लिए तथा युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए भी, जिला नेहरू युवा केंद्रों ने राश्ट्रीय युवा एवं किषोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) के तहत देष भर में युवा मंडल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

संबंधित ने.यु.मं. के स्वयंसेवकों तथा देष में संबंधित ब्लॉक के मेंटर युवा मंडलों ने ब्लॉक स्तर की अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु क्षेत्र के सभी युवा मंडलों के बीच सूचना का पर्याप्त अग्रिम में प्रसार किया। जिला ने.यु.के.सं. के प्रषासनिक निरीक्षण तथा नियंत्रण के तहत कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कार्यक्रम स्थलों के समीपवर्ती स्थित स्थानीय मेंटर युवा मंडलों को सक्रिय रूप से संबद्ध किया गया।

नेहरू युवा केंद्र संगठन (ने.यु.के.सं.) द्वारा 2383 अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का विस्तृत विवरण निम्नान.ुसार है :

राज्य/सं क्षे. की संख्या	जिलों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	भौतिक		वित्तीय (रू. में)		
			प्रतियोगिताओं की संख्या	उपलब्धियां	प्राप्त निधियां	उपयोगकृत निधियां	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को वापस की गई अव्ययित राषि
35	601	2383	2500	2383	4,50,00,000	4,48,07,799	1,92,201

इन प्रतियोगिताओं का राज्य और जिला वार विवरण अनुलग्नक–26 में दिया गया है।

उपरोक्त प्रतियोगिता फुटबाल, वॉलीबाल, बास्केटबाल, कबड्डी, खो–खो, कुश्ती, मार्षल आर्ट, एथलेटिक्स और ती.रंदाजी के खेल में आयोजित की गई थीं। खेल स्पर्धाओं का चयन जिला नेहरू युवा केंद्रों द्वारा ब्लॉक में उपलब्ध खेल अवसंरचनाओं तथा खेल मैदानों के अनुसार किया गया था। ब्लॉक स्तर की प्रत्येक अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता के लिए रू. 20,000/– की राषि उपलब्ध कराई गई थी। प्रत्येक प्रतियोगिता की अवधि तीन दिनों तथा स्पर्धाओं की जरूरत के अनुसार थी।

कार्यक्रम चौकस बनाने के लिए प्रतियोगिता के दौरान स्थ.ानीय लोक प्रतिनिधियों जैसेकि माननीय संसद सदस्यों, मंत्रियों, विधायकों, पंचायती राज संस्था सदस्यों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, राज्य सरकारों के वरिश्ठ स्तर के अधिकारियों तथा जिला प्रषासन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया

था। इन प्रतियोगिताओं के दौरान खेल सामग्री का वितरण भी किया गया था।

5. पूर्वोत्तर में विकास मेला तथा जॉब फेयर

असम के स्वयंसेवकों के लिए एक प्रारंभिक कार्यषाला का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी, 2013 को भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी (असम) में किया गया। उसी समय शेश चार राज्यों से मंडल निदेषकों तथा प्रत्येक के एक

युवा समन्वयक और एक कम्प्यूटर जानने वाले स्वयंसेवक के लिए टीओटी कार्यषाला का भी आयोजन किया गया ताकि उनके संबंधित राज्यों में प्रारंभिक कार्यषाला की योजना उनके निरीक्षण के अधीन बनाई जा सके।

गृह मंत्रालय और ने.यु.के.सं. की पहल के तहत 05 पूर्वोत्तर राज्यों में विकास एवं षान्ति के संदेष के प्रचार हेतु युवा पहल नामक एक कार्यक्रम की योजना तैयार की गई। इस कार्यक्रम का उद्देष्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम तथा अरूणाचल प्रदेष में जीविका और रोजगार जनन कार्यक्रमों के विषेश संदर्भ के साथ केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

इस कार्यक्रम के तहत, 33 जिलों के 165 ब्लॉक्स में तैनात 470 ने.यु.स. स्वयंसेवक ने 05 पूर्वोत्तर राज्यों के 5687 गांवों मे सूचना प्रसार की जिम्मेदारी निभाई। इस कार्य में पार्टनर संस्था आईआईई ने आवष्यकता के अनुसार पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

6. पीपीपी मॉडल के तहत अभिसारण की पहलें, ने.यु.के.सं. द्वारा अभिरण की अनेक पहलें की गईं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

- टेक महिन्द्रा

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषेश संदर्भ में सरल रोजगार सेवाओं/जॉब फेयर का स्कोप बढ़ाने तथा तेजी लाने के लिए पहले दौर में कैनवस एम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टेक महिन्द्रा), ने.यु.के.सं. तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)–गुवाहाटी के बीच रणनीतिक गठबंधन बनाने और बाद में 2012–13 में चरणबद्ध ढंग से देष के अन्य क्षेत्रों तथा जिलों में विस्तार पर विचार किया गया।

- गुवाहाटी में एक दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम

एमओयू की पृश्ठभूमि में ने.यु.के.सं. कार्यकर्ताओं का आईआ.ईई गुवाहाटी के साथ एक दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम 2 नवम्बर, 2012 को आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमिता –सह–कौषल विकास कार्यक्रम के आयोजन हेतु आ.ईआईई तथा ने.यु.के.सं. के बीच इस एमओयू पर 31.10.2012 पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैठक में उद्यमिता–सह–कौषल विकास कार्यक्रम, प्रषिक्षकों का प्रषिक्षण इत्यादि कार्यक्रम आईआईई तथा ने.यु.के.सं. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया।

7. ने.यु.के.सं. स्वयंसेवकों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्य प्रदेष के जिला ने.यु.के. के स्वयंसेवकों के लिए आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) भोपाल के सहयोग से एक दिवसीय प्रषिक्षण के चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम डीएमआई के परिसर में 9 से 20 अक्टूबर, 2012 के बीच आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भिन्न जिला ने.यु.के. के 100 युवाओं ने भाग लिया।

सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करना, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा मौजूदा संभावित संकटों के मुद्दे पर तार्किक ढंग से विचार करना और प्रतिकूल प्रभावों संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपषमन के माध्यम से न्यूनतम करना इस कार्यक्रम का उद्देष्य था।

प्रषिक्षण कार्यक्रमों के दौरान आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणा की समझ पर चर्चा और प्रस्तुति तथा प्राकृतिक संकटों का व्यापक परिदृष्य प्रस्तुत किया गया। आपात स्थित में खोज,

बचाव कार्य तथा जीवन रक्षा की तकनीकों का प्रदर्षन तथा चर्चा भी की गई। प्रतिभागियों को उनके व्यापक उपयोग तथा उनके गांवों में भी भावी प्रषिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रतिभागियों को एक प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।

8. 5वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम

जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्देष्य 30 सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)/नक्सल प्रभावित जिलों से चुने गए जनजातीय युवाओं को देष के भिन्न स्थानों पर जाकर सांस्कृतिक परंपराओं, भाशा, जीवन षैली, विकास–गतिविधियां, षिक्षा के क्षेत्रों, रोजगार के अवसरों को जानने समझने के लिए और साथ ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों को देखने तथा आमोद गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना था।

वर्श 2012–13 के दौरान, चार जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

राज्य	षिविर की अवस्थिति	षिविर की तिथियां	प्रतिभागियों की संख्या
कर्नाटक	मैसूर	05 से 11 जनवरी, 2013	500
महाराष्ट्र	पुणे	02 से 08 फरवरी, 2013	500
राजस्थान	अलवर	28 फरवरी से 6 मार्च 2013	500
सिक्किम	गंगटोक	02 से 08 मार्च, 2013 एवं	500
		09 से 15 मार्च, 2013	

षिविरों की अवधि 7 दिन थी। कुल चार में प्रत्येक षिविर में नक्सल प्रभावित जिलों के 500 युवाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में लोक सांस्कृतिक समारोह, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण, विचारों का आदान–प्रदान, हस्तषिल्प प्रदर्षनी तथा ने.यु.के.सं. गतिविधियां इत्यादि षामिल थी।

श्री जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा एवं खेल, भारत सरकार, सुश्री नीता चौधरी, सचिव (वाईए), युवा विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार,, श्री सलीम अहमद, महानिदेषक, ने.यु.के.सं., डा. प्रभाकान्त, कार्यपालक निदेषक, ने.यु.के.सं., श्री ए.एच. विष्नाथ, माननीय सांसद (लोक सभा), मैसूर तथा स्थानीय विधायकगण और अन्य अनेक प्रतिश्ठित व्यक्तियों ने षिविरों का दौरा किया तथा प्रतिभागियों के साथ बातचीत की तथा उनकी निर्भीक षक्ति को सामुदायिक विकास और राश्ट्रीय उन्नति की गतिविधियों में उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने समावेषी विकास हासिल करने के लिए जनजातीय युवाओं को कौषल विकास प्रषिक्षण प्रदान करने तथा अधिक अवसर प्रदान किए जाने की जरूरत पर विस्तार से प्रकाष डाला।

9. बडगाम के युवाओं के लिए "कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता संबंधी अवसर" पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

- केंद्रीय षीतोश्ण उद्यानिकी संस्थान (सीआईटीएच) एवं कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) पदाधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक

ने.यु.के. बडगाम एवं पुलवामा (जम्मू एवं कष्मीर) के साथ संबद्ध युवाओं के लिए "कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता संबंधी अवसर" पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजन की रणनीति पर चर्चा करने तथा अंतिम रूप देने के लिए ने.यु.के.सं., सीआईटीएच एवं केवीके के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक 7 सितम्बर, 2012 को आयोजित की गई।

- सीआईटीएच श्रीनगर तथा ईडीआई पुलवामा (जम्मू एवं कष्मीर) में जागरूकता कार्यक्रम

बडगाम के युवाओं के लिए "कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता संबंधी अवसर" पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सीआईटीएच श्रीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें 95 युवाओं (65 पुरूशों एवं 30 महिलाओं) ने भाग लिया।
ऐसा ही एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम पुलवामा जिला के युवाओं के लिए जेके उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) पैम्पोर में 16 सितम्बर, 2012 को आयोजित किया गया, जिसमें जिले के अलग–अलग ब्लॉकों के 122 युवाओं ने भाग लिया।
प्रतिभागियों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भिन्न उद्यमिता प्रयासों के अर्थषास्त्र की संभाव्यता के बारे में जागरूक बनाया गया। सीआईटीएच और केवीके के संसाधन व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नौ व्याख्यान तथा प्रस्तुतियां दी गईं :–

- बागबानी, संकर बीज, फल तथा नर्सरी तैयार करने पर फोकस के साथ
- उच्च मूल्य सब्जी तथा मषरूम की खेती
- मधुमक्खी पालन
- पषुधन उत्पादन, कुक्कुट तथा डेरी पर फोकस के साथ

इस कार्यक्रम में श्री सलीम अहमद, महानिदेषक, ने.यु.के.सं., डा. के.डी. कोकाटे, उप महानिदेषक, आईसीएआर, प्रो. नजीर अहमद, डा. तेज प्रताप, कुलपति – एसकेएयूएसटी षालीमार, श्रीनगर, डा. अफीफा एस काम्बली, डीईई (एसकेएयूएसटी), डा. ए.एम. नरूला, जैडपीडी मंडल 1 आईसीएआर तथा चौधरी मोहम्मद अतीफ, मंडल निदेषक, ने.यु.के.सं., जम्मू एवं कष्मीर उपस्थित थे।
इनके अतिरिक्त उपरोक्त जागरूकता कार्यक्रम में सीआईटीएच के सभी संकाय सदस्य, वरिश्ठ वैज्ञानिक, विशय विषेशज्ञ, जम्मू एवं कष्मीर के केवीके कार्यक्रम समन्वयक तथा सभी जिला युवा समन्वयक और उप निदेषक, ने.यु.के.सं., जम्मू एवं कष्मीर भी उपस्थित थे। उप निदेषक, कृषि दर्षन, दि ग्लोबल न्यूज सर्विस, 4 रियल न्यूज इत्यादि कार्यक्रम कवर कर रहे थे।

- जम्मू एवं कष्मीर के लिए यस परियोजना फेज़–।। का षुभारंभ

जम्मू एवं कष्मीर के लिए यस परियोजना फेज़–।। का षुभारम्भ आयोजन 16 सितम्बर, 2012 को डीसी कान्फ्रेन्स हॉल, बडगाम में किया गया। महानिदेषक, ने.यु.के.सं. द्वारा वहां उपस्थित नव निर्वाचित 40 युवाओं से बातचीत के बाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। महानिदेषक, ने.यु.के.सं. द्वारा बी–एबल के स्थानीय प्रतिनिधियों से पिछले जॉब प्लेसमेंट की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। इस अवसर पर पिछले यस बैच के 13 पास आउट उम्मीदवार भी मौजूद थे।

10. "मादक पदार्थो तथा एल्कोहल सेवन की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा"

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 2012–13 के दौरान पंजाब और मणिपुर राज्य में "मादक पदार्थो तथा एल्कोहल सेवन की रोकथाम के लिए जागरूकता और षिक्षा" पर एक परियोजना का कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना में पंजाब राज्य में 10 जिलों के 75 ब्लॉक के अंतर्गत 3,000 ग्राम और

मणिपुर राज्य में 7 जिलों के 25 ब्लॉक के अंतर्गत 750 ग्राम सम्मिलित किए गए थे। यह परियोजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग से चलाई गई थी। परियोजना का विषेश फोकस किशोरों तथा युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन के सामाजिक आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी दुश्प्रभावों के प्रति सुग्राही बनाना और उनके उपचार के लिए प्रोफेषनल मदद की जरूरत पर था ताकि वे एक स्वस्थ और सार्थक जीवन बिता सकें।

इस परियोजना में मादक पदार्थों तथा एल्कोहल सेवन पर निर्भरता की समस्या को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए एक ओर किशोर एवं युवा वर्ग, उच्च जोखिम तथा कमजोर समूहों व उनके परिवारों पर तो दूसरी ओर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स जैसे कि ग्राम आधारित ने.यु.के.सं. युवा मंडलों, महिला समूहों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, ग्रामों के प्रभावषाली व्यक्तियों तथा सेवाप्रदाताओं का समर्थन और सहयोग जुटाया गया।

प्रषिक्षित और प्रेरित ने.यु.के.सं. युवा मंडल नेताओं तथा राष्ट्रीय युवा निकाय स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में 3,750 ग्राम सलाहकार समितियों का गठन किया गया। इनके द्वारा वर्तमान स्थिति, परियोजना के उद्देष्यों, प्रत्याषित परिणामों पर विचार किया गया, ग्राम व्यापक कार्यान्वयन योजनाएं, गतिविधियां तैयार की गई तथा ऐसी बैठकें नियमित रूप से आयोजित किया जाना भी सुनिष्चित किया गया। इस प्रक्रिया से एक सक्षमकारी माहौल तैयार करने, स्थानीय युवा नेताओं, महिला समूहों, स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, परिवार तथा समुदाय सदस्यों का समर्थन, भागीदारी तथा ग्राम स्तर पर परियोजना गतिविधियों संबंधी कार्यवाही में मदद मिली।

पंजाब के 10 जिलों में 3000 ग्रामों में और मणिपुर के 7 जिलों में 750 ग्रामों में घर घर जाकर सम्पर्क करने तथा षिक्षित करने का कार्यक्रम संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पंजाब के 300,000 तथा मणिपुर के 75,000 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इस गतिविधि के तहत कुल मिलाकर 3,75,000 युवा लोगों से सम्पर्क किया गया तथा इसके द्वारा 62,654 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो या तो नषीली दवाओं अथवा एल्कोहल सेवन की लत से पीड़ित थे।

पंजाब और मणिपुर में मादक पदार्थों तथा एल्कोहल सेवन की रोकथाम संबंधी परियोजना गतिविधियों की झलकियां

ग्राम स्तर गतिविधियां

समय की कसौटी पर परखी, किफायती और लोकप्रिय 6,05,664 ग्राम स्तर गतिविधियों में युवा लोगों के साथ फोकस समूह चर्चा; नषीली दवाओं और षराब की महामारी पर खुली चर्चा, विषेशज्ञों द्वारा व्याख्यान, फोकस समूह चर्चा तथा राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं, अभिभावकों तथा अध्यापकों के साथ समर्थन जुटाने हेतु बैठकें; नषीली दवाओं और षराब की लत से बचने के लिए किस्से कहानियां बयान करना तथा मिसाल पेष करना; प्रसंग आधारित गीत; रैलियां; योग; षपथ ग्रहण समारोह; सार्वजनिक व्याख्यान; दीवारों पर लेखन तथा पोस्टर अभियान; नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम; स्कूलों तथा ग्रामों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं; स्कूलों तथा ग्रामों में नषीली दवाओं और षराब से संबंधित नारे, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं; महत्वपूर्ण दिवसों पर विषेश जागरूकता अभियान, षैक्षिक गतिविधियां, भेद्य लक्ष्य समूहों तथा नषीली दवाओं और षराब की लत के षिकार व्यक्ति/परिवारों की पहचान, स्थानीय विषेशज्ञों द्वारा नषाखोरों की काउन्सिलिंग और उन्हें नषामुक्ति षिविरों में जाने के लिए समझाकर तैयार करना इत्यादि षामिल थे।

इन गतिविधियों के माध्यम से पंजाब और मणिपुर के 17 जिलों के 3,750 ग्रामों के 1,17,02,740 लोगों (65,26,956 पुरूशों तथा 51,75,784 महिलाओं) को लाभान्वित किया गया। यह प्रषंसनीय प्रयास कहा जाएगा कि हर व्यक्ति ने नषामुक्ति षिविरों की किसी एक या अधिक गतिविधियों में भाग लिया है। इस परियोजना के तहत पंजाब में 10 नषामुक्ति षिविरों में 380 व्यक्ति लाभान्वित हुए जबकि मणिपुर राज्य में 7 नषामुक्ति षिविरों में 280 व्यक्ति लाभान्वित हुए। पंजाब सरकार द्वारा सकारात्मक पुश्टि की गई है तथा परियोजना के सफल समापन के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रयासों की सराहना की है।

11. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) योजना

युवा एवं खेल मंत्रालय की एनपीवाईएडी योजना के निम्न घटक हैं:

क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (युवा गतिविधियों का प्रोत्साहन तथा प्रषिक्षण),

ख) साहसिक षिविर (साहसिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन)

ग) किशोरों के लिए जीवन कौषल प्रषिक्षण (किशोर सषक्तिकरण)

घ) राष्ट्रीय एकता षिविर (राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन)

ने.यु.के.सं. द्वारा इन सभी चार घटकों का कार्यान्वयन युवा एवं खेल मंत्रालय की सहायता से किया गया है तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इनके जिला प्रषासन के माध्यम से बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया गया है।

योजना के उद्देष्य

अल्पावधि उद्देष्य :–

- किशोर एवं युवाओं को उनकी पूर्ण सक्षमता का अहसास कराने के लिए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना;
- युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास तथा व्यक्तित्व का विकास करना और उनकी ऊर्जा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा देष के विकास की दिषा में मोड़ना;
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, युवाओं द्वारा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष और उदार छवि को मजबूत करना;
- साहस, जोखिम लेने, टीमवर्क की भावना, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तत्पर और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की क्षमता विकसित करना और युवाओं में सहनषीलता विकसित करना;
- किशोरों को युवाओं के मध्य जिला उप–समूह की मान्यता प्रदान करना तथा उनकी विषिश्ट जरूरतों की पूर्ति करने के साथ–साथ उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार एवं प्रदान करना; तथा
- युवा तथा किशोरवर्ग से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान तथा प्रकाषन को प्रोत्साहन देना और तकनीकी संसाधन सहायता को प्रोत्साहन देना जिसमें सूचना एवं डेटाबेस तैयार करना षामिल है।

ख. दीर्घावधि उद्देष्य :–

- युवा ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से राश्ट्र निर्माण में लगाना;
- युवावर्ग में राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यों के प्रति गर्व की भावना विकसित करना जैसा कि लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता;
- युवावर्ग में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता विकसित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;
- देष के विभिन्न भागों के युवाओं में राष्ट्रीय अखंडता, विविधता में एकता, भारतीयता पर गर्व की भावना को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समरसता की भावना उत्पन्न करना;
- युवावर्ग को ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान प्रसार के फोकल प्वाइंट के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें राश्ट्र निर्माण प्रक्रिया में षामिल करना;
- किशोरों, विषेशकर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित/पिछड़े वर्गों के किशोरों के विकास एवं सषक्तिकरण हेतु कार्य को प्रोत्साहन देना;
- ऐसा माहौल निर्मित और विकसित करना जो देष में किशोरवर्ग की विषिश्ट जरूरतों को मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें किशोर हितैशी सेवाएं उपलब्ध कराता है;

क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (युवा गतिविधियों तथा प्रषिक्षण को बढ़ावा)

लक्ष्य और उद्देष्य :

- युवा नेताओं को ग्राम और युवा मंडल की जिम्मेदारी संभालने तथा ग्रामों के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक–सांस्कृतिक विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु प्रषिक्षित करना तथा आवष्यक योग्यताओं से सुज्जित करना।
- ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर जागरूकता सृजित करना तथा युवाओं को नेतृत्व के आवष्यक गुणों से सुज्जित करना।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, ने.यु.के.सं. द्वारा 30 दिवसीय युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 30 थी। 3 कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र में, 2 कार्यक्रम पष्चिम क्षेत्र में, 2 कार्यक्रम दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, 3 कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र में और 2 कार्यक्रम देष के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किए गए थे।

इस कार्यक्रम के तहत कुल 471 युवा (162 महिला तथा 309 पुरूश) लाभान्वित हुए।

ख) साहसिक षिविर (साहसिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन)

उद्देष्य :

- युवाओं में साहस तथा जोखिम लेने की भावना को प्रोत्साहन देना
- युवाओं में राष्ट्रीय आपदाओं तथा अन्य आपात स्थितियों का सामना करने की क्षमता का निर्माण करना
- पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विषेश बल के साथ प्रकृति की सराहना की भावना आत्मसात करना।

भूमि/चट्टान, जल, वायु के क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की गईं, जैसा कि सुस्थापित ट्रैक्स पर ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, सफारी, कृत्रिम चट्टान/दीवार पर चढ़ना, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, केयेकिंग एवं कैनोइंग, लम्बी तैराकी, जल खेल तथा पैरासेलिंग, पेयर ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग इत्यादि।

ने.यु.के.सं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 69 सात दिवसीय साहसिक षिविर आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 25 थी। 17 कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र में, 13 कार्यक्रम पष्चिम क्षेत्र में, 14 कार्यक्रम

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, 14 कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र में और 11 कार्यक्रम देष के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत कुल 1767 युवा (370 महिला तथा 1397 पुरूश) लाभान्वित हुए।

ग) किशोरों के लिए जीवन कौषल प्रषिक्षण (किशोर सषक्तिकरण)

उद्देष्य :

- किशोरों में ऐसा व्यवहार विकसित करना जो उन्हें स्वस्थ विकल्प चुनने में मददगार होगा
- उनके जीवन कौषल को मजबूत बनाना ताकि वे अपनी जिंदगी में जोखिम भरे हालात का मुकाबला कर सकें
- उन्हें एचआईवी से बचाने तथा किशोर जनन यौन स्वास्थ्य मुद्दों तथा चिंताओं की व्यवस्था करना
- उनके मुद्दों को हल करने के लिए उनकी सामूहिक ताकत एकजुट करना।

ने.यु.के.सं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 35 सात दिवसीय जीवन कौषल षिक्षा प्रषिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने वाले किशोरों की संख्या 40 थी। 6 कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र में, 12 कार्यक्रम पष्चिम क्षेत्र में, 6 कार्यक्रम दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, 6 कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र में और 4 कार्यक्रम देष के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किए गए थे।

इस कार्यक्रम के तहत कुल 1361 युवा (578 महिला तथा 783 पुरूश) लाभान्वित हुए।

घ) राष्ट्रीय एकता षिविर (राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन)

राष्ट्रीय एकता षिविर के उद्देष्य देष के भिन्न भागों के युवाओं को एक उभय मंच प्रदान करना; उन्हें देष की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर प्रदान करना; उन्हें विविधता में एकता के उन सूत्रों को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम बनाना है, जो भारतीयों को एकसूत्र में बांधकर रखते हैं। ये युवाओं में भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना भरने तथा

विकसित करने की दिषा में किए जा रहे प्रयास हैं। निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से की जाती है, जैसा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्य षिविर, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, परिवार स्थापन, सभी धार्मिक प्रवचन तथा अन्योन्य क्रियाओं में सामुदायिक समरसता, एकता और भाईचारे का संदेष। इनके अतिरिक्त, प्रमुख मुद्दों यथा युवा सरोकार, लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य तथा विकास की पहचान प्रत्येक राष्ट्रीय एकता षिविर के दौरान प्रस्तुति, चर्चा हेतु की गई है तथा इनको उनकी गतिविधियों में षामिल किया गया है। वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनाधीन हैं। ने.यु.के.सं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान देष भर में राष्ट्रीय एकता षिविर आयोजत किए गए। इनमें 31 राष्ट्रीय एकता षिविर राजधानी नगरों में, 63 गैर राजधानी नगरों में और 3 षिविर इलाहाबाद में महाकुम्भ के अवसर पर लगाए गए। 29 कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र में, 12 कार्यक्रम उत्तर पूर्व क्षेत्र में, 16 कार्यक्रम पष्चिम क्षेत्र में, 22 कार्यक्रम दक्षिण क्षेत्र में और 15 कार्यक्रम दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तथा 3 कार्यक्रम इलाहाबाद में महाकुम्भ के अवसर पर आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत कुल 14779 युवा (4428 महिला तथा 10351 पुरूश) लाभान्वित हुए।

12. किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (एएच एवं डीपी)

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने यूएनएफपीए के साथ भागीदारी में उन किशोर मंडलों की सहायता द्वारा चुनौती स्वीकार की गई जिसका लक्ष्य यूएनएफपीए के 7वां देहात योजना कार्यक्रम (2008–12) के तहत स्कूल के बाहरी परिवेष में और विषेशकर स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के लिए काम करना है। सन् 2010 में, किषोरों के लिए भारत सरकार की पूर्वतर पहल की रणनीति पुनर्निर्धारित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई ताकि उद्देष्यों की पूर्ति हेतु हस्तक्षेपों की गुणवत्ता में सुधार तथा बेहतर प्रभाव सुनिष्चित किया जा सके। अप्रैल, 2011 से यह परियोजना यूएनएफपीए के पांच प्राथमिकता राज्यों नामतः बिहार, मध्य प्रदेष, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के 10 जिलों में क्रियान्वित की गई है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा क्रियान्वित संषोधित रणनीति में स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके किशोरों का निम्नलिखित उद्देष्यों के साथ सषक्तिकरण प्रस्तावित है।

- जनन एवं यौन स्वास्थ्य मुद्दों पर, लैंगिक सुग्राही विधि में, जीवन कौषल पर फोकस के साथ अनुभव–षिक्षार्जन के माध्यम से किशोर मंडल हस्तक्षेपों की गुणवत्ता में वृद्धि और जहां सम्भव है उन्हें युवा अनुकूल सेवाओं के साथ जोड़ना।

- किशोरों को षिक्षा, कौषल निर्माण तथा उनके सामने खड़े बेहतर जिंदगी के मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनको उपयुक्त समूहों तथा संस्थाओं के साथ जोड़ना। यह परियोजना पांच राज्यों के 10 जिलों में 62 ब्लॉक के 1860 ग्रामों में चालू की गई जहां क्षमता निर्माण द्वारा कार्यक्रम गुणवत्ता संवर्धन, अन्योन्यक्रिया संसाधन सामग्री विकास और उन्हें किशोर मंडलों को प्रदान किए जाने के उद्देष्य से 1860 किशोर मंडलों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राह्य किशोरों को आजीविका करियर तथा षैक्षिक

अवसर के अलावा समर्थन एवं अभियानों के जरिये किशोर मंडलों के लक्ष्य की दिषा में बृहत्तर समुदाय के सुग्राहीकरण के साथ जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में सहायता के लिए तीन एनजीओ'ज नामतः, उदयपुर में 'विषाखा', गंजाम में 'पाटंग' और झाबुआ में 'समर्थन', से संपर्क किया गया था। किशोर मंडल में मूल रूप से 10–19 वर्श की आयु के व्यक्ति षामिल किए जाते हैं। किशोर मंडल में किशोरों को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और सकारात्मक एवं स्वस्थ संबंध बनाने तथा बनाए रखने की सक्षमता और नेतृत्व गुण सिखाए जाते हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्तरों पर गतिविधियों की योजना बनाई और प्रारम्भ की गई थीं।

राष्ट्रीय स्तर : ने.यु.के.सं. पदाधिकारियों के लिए अनुकूलन और अद्यतनीकरण कार्यषाला

राज्य स्तर : राज्य विषिश्ट समीक्षा बैठक तथा डीपीओ'ज, एपीवी और आरपी'ज के लिए राज्य विषिश्ट कार्यषाला

ब्लॉक स्तर : समकक्ष षिक्षक प्रषिक्षण, समुदाय संगठन षिविर

ग्राम स्तर : किशोर मंडल गतिविधियां

10 जिलों के 1860 ग्रामों के स्कूल छोड़ चुके 10–19 वर्श आयु–वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के किशोर मंडल इस परियोजना के मूल लाभार्थी थे। अन्य प्रमुख उद्देष्यों में किशोर मंडलों की गतिविधियों में समान प्रतिभागिता के प्रयास षामिल थे। एएच एवं डीपी महिलाओं की प्रतिभागिता 44 प्रतिषत तक लाने में सफर रहा। इस परियोजना के निम्नलिखित प्रमुख परिणाम थे :

1. देष के 10 जिलों में 1860 किशोर मंडलों की स्थापना और संचालन
2. यौन एवं जनन स्वास्थ्य पर फोकस के साथ किशोर–मुद्दों का समर्थन
3. किशोर मंडल में एआरएसएच पर आधारित निश्पादन मॉड्यूल्स
4. ने.यु.के.सं. गतिविधियों के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य मुद्दों को मुख्यधारा में लाना
5. एएच एवं डीपी से कुल 558146 किशोर लाभान्वित हुए। जीवन कौषल आधारित गतिविधियों से किशोरों को स्वयं को तथा करियर संबंधी मद्दों, नेतृत्व कौषल ओर स्वस्थ संबंधों इत्यादि को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली।

किषोर मंडल प्रतिभागियों को स्वयं से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्ष करने और साथ मिलकर समाधान खोजने हेतु प्रयास करने के लिए एक मंच प्राप्त होता है। समकक्ष समूहों के साथ अन्योन्यक्रिया द्वारा वे परिवार में तथा परिवार से बाहर अपना सामाजिक तथा वार्ता कौषल में सुधार लाते हैं। किषोर मंडल लाभार्थियों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक – 27 में देखें।

13. राष्ट्रीय युवा कोर योजना

युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनएसवीएस (1977–78) तथा आरएसवाई (2005) की पूर्वतम योजनाओं में संषोधन के पष्चात 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय युवा निकाय नामक एक

नई योजना प्रारम्भ की गई है। ने.यु.के.सं. इन योजनाओं का प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता है।
राष्ट्रीय युवा निकाय योजना के प्रमुख उद्देष्य हैं –

- अनुषासित और समर्पित युवाओं का एक ऐसा समूह गठित करना जो राश्ट्र निर्माण में संलग्न होने की रूचि और भावना रखते हैं।
- समावेषी विकास (सामाजिक और आर्थिक दोनों) को वास्तविक रूप प्रदान करना सुसाध्य बनाना।
- समुदाय में सूचना, बुनियादी ज्ञान के प्रसार के बिन्दुओं के रूप में कार्य करना।
- समूह नियंत्रक तथा समकक्ष समूह षिक्षक के रूप में कार्य करना।
- अपने युवा सहयोगियों के लिए आदर्ष के रूप में कार्य करना विषेश रूप से लोक नैतिकता, सत्यनिश्ठा और श्रम का मान स्थापित करने की दिषा में।

योजना के प्रावधान के अनुसार, 623 जिलों में प्रत्येक वर्श कुल 12,000 स्वयंसेवक नियुक्त किए जा रहे हैं। 18–25 वर्श आयु वर्ग के स्वयंसेवक अधिकतम 2 वर्श की अवधि

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक को रू. 2,500/– प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। स्वयंसेवकों ग्राम/समुदाय स्तर पर पर युवा मंडलों तथा महिला मंडलों को प्रेरित करने तथा ऊर्जावान बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय युवा निकास स्वयंसेवकों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के विषेश कार्यक्रमों सहित बुनियादी कार्यक्रमों के आयोजन में षामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा निकास स्वयंसेवकों की उपस्थिति सभी जिलों में और विषेश रूप से उन जिलों में गहन रूप से अनुभूत की जा रही है जहां जिला युवा समन्वयकों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय युवा निकास स्वयंसेवकों युवा मंडलों तथा महिला मंडलों को प्रेरित करने की दिषा में नेहरू युवा केंद्र संगठन की विस्तारित भुजा के रूप में कार्य कर रहे हैं।

राज्य	2012-13
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	54
आंध्र प्रदेश	720
अरुणाचल प्रदेश	112
आसाम	523
बिहार	682
चंडीगढ़	6
छत्तीसगढ़	210
दादरा एवं नागर हवेली	9
छमन एवं दीव	12
दिल्ली	71
गोवा	21
गुजरात	365
हरियाणा	218
हिमाचल प्रदेश	203
जम्मू एवं कश्मीर	69
झारखंड़	327
कर्नाटक	312
केरल	371
लक्षद्वीप	16
मध्य प्रदेश	667
महाराष्ट्र	771
मणिपुर	115
मेघालय	68
मिजोरम	67
नागालैंड	68
उडीसा	252
पांडिचेरी	46
पंजाब	406
राजस्थान	596
सिक्किम	29
तमिलनाड	859
त्रिपुरा	27
उत्तर प्रदेश	1464
उत्तराखंड	260
पश्चिमी बंगाल	721
कुल	10717

राज्य	कुल एनवाईसी	पुराने एनवाईसी	पुरुष सदस्य	महिला सदस्य	10वीं	12वीं	स्नातक	स्नाकोत्तर
अंडमान एवं निकोबार द्विपसमूह	54	28	21	33	2	44	8	0
आंध्र प्रदेश	720	390	508	212	78	313	304	25
अरुणाचल प्रदेश	112	52	61	51	42	61	8	1
आसाम	523	175	321	202	84	340	90	9
बिहार	682	397	497	185	46	388	221	27
चंडीगढ़	6	6	3	3	0	6	0	0
छत्तीसगढ	210	97	133	77	31	141	35	3
दादरा एवं नागर हवेली	9	5	5	4	0	4	5	0
छमन एवं दीव	12	8	4	8	0	8	4	0
दिल्ली	71	21	39	32	10	51	10	0
गोवा	21	14	9	12	2	14	5	0
गुजरात	365	140	222	143	8	187	147	23
हरियाणा	218	108	156	62	5	125	72	16
हिमाचल प्रदेश	203	99	112	91	11	119	64	9
जम्मू एवं कश्मीर	69	35	40	29	1	37	30	1
झारखंड़	327	169	230	97	25	187	102	13
कर्नाटक	312	217	185	127	17	224	56	15
केरल	371	165	258	113	18	262	85	6
लक्षद्वीप	16	6	5	11	4	12	0	0
मध्य प्रदेश	667	280	454	213	31	409	185	42
महाराष्ट्र	771	356	520	251	26	472	228	45
मणिपुर	115	83	64	51	21	76	17	1
मेघालय	68	25	54	14	12	35	18	3
मिजोरम	67	26	32	35	23	36	8	0
नागालैंड	68	35	44	24	26	30	12	0
उडीसा	252	204	167	85	16	94	138	4
पांडिचेरी	46	24	24	22	7	15	19	5
पंजाब	406	209	241	165	19	260	105	22
राजस्थान	596	253	439	157	14	200	312	70
सिक्किम	29	26	12	17	0	20	8	1
तमिलनाड	859	355	487	372	110	510	207	32
त्रिपुरा	27	27	23	4	7	11	9	0
उत्तर प्रदेश	1464	459	880	584	21	505	737	201
उत्तराखंड	260	80	135	125	6	153	87	14
पश्चिमी बंगाल	721	164	435	286	27	346	319	29
कुल	10717	4738	6820	3897	750	5695	3655	617

परिशिष्ट

ug: ;ok dUn lxBu
okf’kd y[k
fnukd 31-3-2013 dk ryu i=

31-3-2012 dk	n;rk,i	vulfp;k	31-3-2013 rd
	कार्पस/पूँजीगत निधि	1	
	निर्धारित/विन्यास निधि)युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय=	2	
	निर्धारित/विन्यास निधि)विद्गोष कार्यक्रम=	3	
	निर्धारित/विन्यास निधि)प्रायोजित कार्यक्रम=	4	
	चालू देयताएँ एवं प्रावधान	5	
	dy		
	ifjlEifÙk;k		
	स्थाई परिसम्पनियॉं	6	
	चालू परिसम्पनियॉं ऋण एवं अग्रिम	7	
	dy		

अन्तिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तथा अनुसूची के संलग्न अनुबंध इसका अभिन्न भाग हैं

विगत वर्ष की राद्गियों को, जहॉं कहीं आवद्गयकता होने पर फिर से इकठ्‌ठा/पुर्नव्यस्थित किया गया हैं

हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये गये लेखों के आधार पर तुलन पत्र को समेकित किया गया हैं

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स कच्छल एण्ड़ कम्पनी,
चार्टड एकार्िटेन्ट

ltho dPNy पार्टनर	,l-d- Bkdj निदेद्गाक वित्त	Mk- iHkkdkr महानिदेद्गाक

दिनांक : 31.03.2014
स्थान : नई दिल्ली

ug : ;ok dUnz lxBu
okf'kZd ys[kk
31 ekpZ 2013 dks lekIr o'kZ ds fy, vk; ,oa 0;; ys[kk

31-3-2012 dks lekIr gksus okys iwoZ o'kZ ds fy,	vk;	vuqlwph	31-3-2013 dks lekIr gksus okys o'kZ ds fy,
	vk; विक्रय से आय अनुदान/छूट षुल्क/अंद्गदान अर्जित ब्याज अन्य आय	 8 9 10 11 12	
	dqy ¼,½		
	व्यय		
	स्थापना व्यय अन्य प्रद्गासनिक व्यय आदि व्यय)कार्यक्रम= बैंक प्रभार	13 14 15 16	
	dqy ¼ch½		
	व्यय पर आय अधिक्य के षेष)ए – बी= विद्गोष रिजर्व को स्थानान्तरित सामान्य रिजर्व को/से स्थानान्तरित षेष अधिक्य /)घाटा=स्थानान्तरित निर्धारित विन्यास निधि/पूंजीगत निधि		
	खातों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉं/नोट्स		

अन्तिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तथा अनुसूची के संलग्न अनुबंध इसका अभिन्न भाग हैं

विगत वर्ष की राद्गियों को, जहो कहीं आवद्गयकता होने पर फिर से इकठ्ठा/पुर्नव्यस्थित किया गया हैं

हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये गये लेखों के आधार पर आय एवं व्यय लेखों को समेकित किया गया हैं

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स कच्छल एण्ड़ कम्पनी,
चार्टड एकाउिटेन्ट

lqthr dPNy पार्टनर	,l-d- Bkdqj निदेद्गाक वित्त	Mk- iHkkdkar महानिदेद्गाक

दिनांक : 31.03.2014
स्थान : नई दिल्ली

ug : ;ok dUnz lxBu] ubZ fnYyh
31 ekpZ 2013 dks lekIr o'kZ ds fy, ikfIr ,oa Hkqxrku ys[kk

31-3-2012 dks lekIr o'kZ ds fy,	ikfIr;ka	vuqlwph	31-3-2013 dks lekIr o'kZ ds fy,	31-3-2012 dks lekIr o'kZ ds fy,	Hkqxrku	vuqlwph	31-3-2013 dks lekIr o'kZ ds fy,
	आदि षेष				LFkkiuk ,oa vU; 0;;		
	नकद				स्थापना व्यय		
	बैंक				अन्य प्रद्गासनिक व्यय		
	Hkkjr ljdkj ls ikIr fuf/k				बैंक प्रभार		
	वर्ष की अनुदान राद्गि						
	नियमित अनुदान/छूट				कार्यक्रम व्यय		
	विद्गोष कार्यक्रम				नियमित कार्यक्रम		
	प्रायोजित कार्यक्रम				विद्गोष कार्यक्रम		
	जोडेः वर्ष के आरंभ में प्राप्त				प्रायोजित कार्यक्रम		
	घटाये : वर्ष के अंत के दौरान						
	अन्य एजेंसियॉं/मंडलों से प्राप्त				विगत वर्ष सें अग्रिम मय वृद्धि		
	भूमि खरीद के लिए अनुदान				वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसम्पनियॉं का मूल्य		
	वेतन एवं लेखा कार्यालयों को/मंडल कार्यलयों को अग्रिम पुनर्समायोजन हेतु लंबित – संदर्भ पैरा				वर्ष के दौरान जमा वृद्धि		
					एजेंसियों को लौटाई गई		
	विविध आय				विद्गोष कार्यक्रमों को लौटाई गई		
	बचत पर ब्याज				प्रायोजित कार्यक्रमों को लौटाई गई		
	बचत पर ब्याज)प्रायोजित कार्यक्रम + विद्गोष कार्यक्रम=						
	दीर्घावधि जमा पर ब्याज						
	दीर्घावधिक अग्रिम पर ब्याज						
	युवा मैनुअल की बिक्री				अन्तः षेष		
	सम्बद्धता षुल्क				नकद		
	अप्रयोज्य परिसम्पनियॉं की बिकी						
	जमाओं में वृद्धि				बैंक		
	चालू देयताओं में वृद्धि				फंड़ टांजिट		

प्रबंधन रिपोर्ट के साथ लेखों पर टिप्पणी 18

अन्तिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तथा अनुसूची के संलग्न अनुबंध इसका अभिन्न भाग हैं
सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स कच्छल एण्ड़ कम्पनी, चार्टड एकाउिटेन्ट

lqthr dPNy पार्टनर	,l-d- Bkdqj निदेद्गाक वित्त	Mk- iHkkdkar महानिदेद्गाक

दिनांक : 31.03.2014
स्थान : नई दिल्ली

fnukd 31-03-2013 dk rqyu i= dh vuqlfp;k dk r;kjh Hkkx

vuqlph&1 dkil@iathxr fuf/k	dy	dy
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
वर्ष के आरंभ में षेष जोडे : पूंजीगत व्यय घटायें : मूल्यह्रास घटायें : वर्ष के दौरान कटौती		
0k'k d vr e "k'k		

fnukd 31 ekp] 2013 dk rqyu i= dh vuqlfp;k dk ,d Hkkx

vuqlph&2 fu/kkfjr fuf/k ¼;ok dk;de ,o [ky e=ky;½	dy	dy
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
, & fuf/k dk vkfn "k'k Ckh & tkM ¼ व्यय पर आय अधिक्य में आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरित Lkh& tkM : अन्य एजेंसी से वेतन एवं लेखा कार्यालय/अनुदान स्थानान्तरण dy ¼, $ ch ½ lh & fuf/k dh mnns';k d vuq:Ik 0;;@mi;kfxrk 1 पूँजीगत व्यय – स्थाई परिसंपनि – अन्य dy ¼lh ½		
dy n; "k'k @¼&½ o'k vr d nkjku ikIr ¼ , $ ch & lh ½		

fnukd 31 ekp 2013 dk rqyu i= dh vuqlph dk ,d Hkkx

vuqlph 3 & fu/kkfjr fuf/k ¼fo"k'k dk;de ;ok dk;de ,o [ky e=ky;½	jk"Vh; ,drk f'kfoj	;ok UkrRo 0;fDrRo fodkl dk;de	vrjkT;h; ;ok ehV	jk"Vh; ;ok mRlo	;ok dkjok	Tkxfr Hkkjr mRlo	jk-l-dehi ;ktuk
,& fuf/k dk vkfn "k'k Ckh– वर्ष के दौरान समायोजन Lkh& vfrfjDr fuf/k i प्राप्त अनुदान)वेतन एवं लेखा में प्राप्ति सहित= ii अन्य अतिरिक्त)अर्जित ब्याज= iii प्रायोजित कार्यक्रम होने से अनुसूची 4 को स्थानान्तरित iv नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरित v वेतन एवं लेखा स्तर पर अर्जित							
dy ¼ ch $ lh½							
Mh½ fuf/k d mnns';k d ifrmi;kfxrk@0;; i पूंजीगत व्यय – स्थायी परिसम्पनियॉं – अन्य							
dy ;kx							
ii jktLo LFkkiuk 0;; – वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि – किराया – अन्य प्रद्मासनिक व्यय							
dy ;kx							
iii jktLo dk;de 0;;							
dy ;kx							
b½ lLFkkvk dk ykSVk;h xbl jkf'k							
dy ;kx ¼ Mh$ b½							
dy n; "k'k@¼&½ o'k vr d nkjku ikIr ¼ , $ ch $ lh & Mh&b½							

vkj- , l- okb- @,u- vkj- lh-	fd'kkjkoLFkk dk;Zdze	;qok xfrfof/k;kW ,o ifj"k{k.k ¼oh-Vh½	Lkukeh dk;Z f'kfoj lgk;rk dUnz	Lkkgfld dk;Zdze	jk"Vªh; ;qok dkj	Ikpk;r ;qok ØhMk vfHk;ku	Pkhu ifrfuf/k eMy	vU; dk;Zdze 0;;	fnukd 31-3-2013 dk

fnukd 31 ekpZ 2013 dk rqyu i= dh vuqlwph dk ,d Hkkx

vuqlwph 4 & fu/kkfjr fuf/k ik;kfttr dk;Zdze½	,MZl tkx:drk dk;Zdze	fd'kkjkoLFkk ;wu ,Qih	;wl	dkmfllfyax tS ,.M dS	Ok{kkjki.k ij tkx:drk	Ckl ykbu lo	
,& fuf/k dk vkfn "k'k ch& vfrfjDr fuf/k i प्राप्त अनुदान ii लेखा निधि के निवेद्गा से आय iii अन्य अतिरिक्त iv वेतन एवं लेखा कार्यालय में अन्य अतिरिक्त						
dqy ¼ch½						
lh½ fuf/k ds mnns';kas ds ifr mi;kfxrk@0;; i पूंजीगत व्यय – स्थायी परिसम्पन्तियॉं – अन्य						
dqy ;kx						
ii LFkkiuk 0;; – वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि – किराया – अन्य प्रद्गासनिक व्यय						
dqy ;kx						
iii कार्यक्रम व्यय						
dqy ;kx						
डी=संस्थाओं को लौटायी गई राद्गि						
dqy ¼ lh $ Mh ½						
dqy n;s "k'k@¼ & ½ o"kZ vUr ds nkSjku iklr ¼ , $ ch & lh &Mh½						

ftyk Lrjh; ,tsfl;k	Uk'k dk n'ifj.kke dk;Zdze ¼lkekftd U;k; ,oa vf/kdkfjrk ea=ky;½	,Ldki	fons'kh ;kxnku	thththth	,pbZ,lZlhvkb	vkbZlhMh,l	Ekkuo eLdku	vkbZ,l ,p,e ¼vk;q'k½	Tku f'k{kk ¼ts,l ,lds½

Tkx&, & vktknh	tEeq ,oa d'ehj mRlo	dsvkj okbZlh bih	dsoh vkbZlh ¼dk;Z'kkyk½	,eth ujsxk	Lkapuk ,oa izlkj.k ea=ky; ¼vktknh ,Dlizsl½	ejh /kjrh ejk dRrZO;	uUgs ?kq?k:	jk"Vªh; ;qok lsn	iokRrj lLdfr vknku inku dk;Zde	dkfj;u ny dk nkSjk

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

fujarj dk;Z'kkyk	fuely fogkj LoPNrk dk;Zde	,u ,y ,e	,u vkj ,p ,e	,u vkj vkbZ Hkkjr ¼tkuk dk;Zde½	iokRrj fofo/k dk;Zde	vU; dk;Zde 0;;	ipk;rh jkt jsyh	jsM fjcu ,Dl-	vkj th jk"Vªh; ;qok fnol ¼vkj th,u vkbZokbZMh½	,l th ,lokbZ

,l ,l ,pbZ ¼;quhlsQ½	lqiHkk xsxk ;k=k	vkfnoklh vknku& inku dk;Zde	;w ,uMhih ¼rkgk & ;kIrk½	;quh lsQ	;w ,u ,Qih,	ohVh ,	ohVh lh ¼vdqj½	okVj fjlkZl ,eth Vh	okd fnl o ¼lsQfdV½	MCY;w ,pvks ¼;qoknkM½

fo'o ,M l fno l	fo'o LokLF; fno l	iYl ikfy;k dk fy, ;ok	Hkkjr ifjdek	fo'o tu l{;k fno l	okbl ,QMh & ,u lh	31-3-2012 dk "k'k

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

vu|lph 5 pkyw n;rk;s ,oa iko/kku	dqy	dqy
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
Pkkyw n;rk;s		
1 – सांविधिक देयतायें		
भविष्य निधि		
सेवा निवृत्ति निधि		
पेंशन		
जीपीएफ		
टीडीएस		
एल.टी.ए		
एल.आई.सी.		
वेतन, भत्ता,बोनस एवं		
अवकाश भुनाने के लिए प्रावधान		
परोपकारियता निधि		
महानिदेशक राहत कोष		
vU; vfxze		
जिला स्तरीय निधि अग्रिम		
कम्प्यूटर अग्रिम		
भवन निर्माण अग्रिम		
पूंजीगत खरीद केन्द्र		
स्कूटर/मोटरसाईकिल		
सुनामी योगदान देय		
देय राशि		
व्यावसायिक कर		
सामुहिक बीमा पॉलिसी		
2- n; jkf'k ¼vkjvkjb½		
3- pkyw n;rkvk dk fy, 0;;		
लेखा परीक्षा शुल्क		
सुरक्षा जमा		
अवकाश वेतन कटौती		
स्टेल चैक		
अप्रयोज्य परिसम्पनियों की बिक्री		
)अन्तिम समायोजन लम्बित=		
3. अन्य चालू देयताऐ		
स्टाफ को अन्य ऋण		
dqy ¼,½		
Ckh- iko/kku		
1. लेखा परीक्षा शुल्क		
2. एमएसीपी बकाया के लिए अन्य प्रावधान		
3. ग्रेच्यूटी		
4. सेवा निवृत्ति/पेंशन		
dqy ¼ch½		
dqy ¼, $ ch½		

vu|l|ph 6 LFkk;h ifjlEifÙk;k	d|y	d|y
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
1 LFkk;h ifjlEifÙk;k विगत : वर्ष के अन्त के अनुसार जमा : वर्ष के दौरान जमा घटाये : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास घटाये : वर्ष के दौरान कटौती वर्ष के अंत में शेष		
d|y		

31 ekp] 2013 dk r\|yu i= dh vu\|l\|ph dk ,d Hkkx

vu|l|ph 7 pky ifjlEifÙk;k _.k ,o vfxe	d|y	d|y
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
,&pky ifjlEifÙk;k 1 अन्य से अनुदान प्राप्ति योग्य 2 उपलब्ध शेष नकद चालू वर्ष		
3 cd "k'k ए– अधिसूचित बैंक में: – बचत खाते में)आरआरई= – चालू खाते में – चालू बचत खाते में)एसबीआई / यू.बी.आई.= – टांजिट में निधि – आवधिक जमा एवं एफडी		
d|y ¼,½		
Ckh- _.k vfxe ,o vU; ifjlEifÙk;k 1 vfxe ए– स्टाफ एवं अन्य बी– लघु नकद अग्रिम सी–आपूर्तिकर्ता को अग्रिम डी–अन्य अग्रिम ई–भवन निर्माण अग्रिम एफ–यात्रा अग्रिम 2- vfxe vkjvkjb		
2 vfxe ;k fdlh vU; :i e eY; d cjkcj ikIr ol|y dh xb jkf'k ;k eY;k d cjkcj ikIr dh xb ए– जमायें स्थायी जमायें / आवधिक जमा फ्रेंकिंग मद्गीन में जमा टेलीफोन जमायें एसटीडी / आई.टी अतिरिक्त जमा पर टी.डी.एस. टीडीएस प्राप्ति ब्याज)आरआरई= अन्य जमा चिकित्सा अग्रिम एलटीसी अग्रिम कम्प्यूटर अग्रिम टीए / डीए अग्रिम त्यौहार अग्रिम स्कूटर अग्रिम ऋण देय खाता जमा)कार्यालय भवन= पूर्व क्षेत्र हेतु अग्रिम सहकारी समिति में जमा स्टेल चैक		
ए–केन्द्रों के पास लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र बी–वेतन एवं लेखा कार्यालयों के अग्रिम का लम्बित समायोजन सी– जिला स्तर के केन्द्र हेतु अग्रिम		
3- vftr vk; ए– निर्धारित निधि से निवेद्गा पर बी–कोष के निवेद्गा पर		
d|y ¼ch½		
d|y ¼, \$ch½		

vk; ,o 0;; y[kk dh vulph 31-3-2013

vulph 8 fod; @lokvk l vk;	dy 31-3-2013 dk	dy 31-3-2012 dk
1 विक्रय द्वारा आय ए – स्केप/युवा क्लब मैनुअल की बिक्री ए – झण्डों की बिक्री– साम्प्रदायिक सद्भाव 2 अन्य)स्पष्ट करें=		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk dh vulph 31-3-2013

vulph 9 vunku@NV	dy 31-3-2013 dk	dy 31-3-2012 dk
ए – केन्द्रीय सरकार)युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित= योजनागत योजनेत्तर		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk dh vulph 31-3-2013

vulph 10 "kYd@v'knku	dy 31-3-2013 dk	dy 31-3-2012 dk
1 संबंद्धता षुल्क 2 नेहरू युवा संदेश		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk dh vulph 31-3-2013

vulph 11 vftr C;kt	dy 31-3-2013 dk	dy 31-3-2012 dk
1 आवधिक जमायें ए – अधिसूचित बैंकों में 2 बचत खाते पर ए– अधिसूचित बैंकों में 3 दीर्घ अवधि के लिए अग्रिम)एच.बी.ए./एल.टी.ए=		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk vulph 31-3-2013

vulph 12 vU; vk;	dy 31-3-2013 dk	dy 31-3-2012 dk
1 लाभ – परिसम्पत्तियों की निपटान/ बिक्री पर घाटा 2 विगत वर्ष में गैर प्राधिकृत व्यय की वसूली 3 स्केप बिक्री)समाचार पत्र एवं पत्रिकायें=		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk vul ph 31-3-2013

vul ph 13 LFkkiuk 0;;	dy	dy
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
ए – वेतन एवं वेजेस बी – बोनस सी – भविष्य निधि में अंद्गदान डी – चिकित्सा प्रतिपूर्ति ई– कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर व्यय और आवधिक लाभ एफ–एलटीसी जी– वर्दी एच–बाल द्गिक्षा भत्ता आई–अवकाद्म भुनाना जे – अन्य		
dy		

vk; ,o 0;; y[kk vul ph 31-3-2013

vul ph 14 vU; i'kklfud 0;;	dy	dy
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
ए– डाक एवं मुद्रण बी–विविध व्यय सी–यात्रा व्यय डी– प्रद्गासनिक प्रभार		
dy		

vul ph 15 dk;Zde 0;;	dy	dy
fu;fer dk;Zde	31-3-2013dk	31-3-2012 dk
युवा मंडल आदान–प्रदान कार्यक्रम		
जिला/राज्य युवा सम्मेलन		
युवा मंडल अभियान की सुदृढ़ीकरण एवं सक्रिय करना		
ष्हरी जिलों के लिए युवा सुविधा केन्द्र		
कौद्गल उन्नयन प्रद्गिक्षण		
हस्तद्गिल्प पर जिला/राज्य/द्गहरी जिलों के लिए प्रदर्द्गानी		
ब्लॉक/जिला/द्गहरी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम		
उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार		
जिला युवा सलाहकार समिति)डीएसीवाईपी=		
युवा कार्यक्रम पर राज्य सलाहकार समिति)एसएसीवाईपी=		
दस्तावेजीकरण		
संस्था छवि निर्माण कार्यक्रम		
हिन्दी राजभाषा		
मेंटर युवा मंडल		
युवा मंडलों के लिए खेल सामग्री		
स्थानीय आवद्गयकता पर आधारित कार्यक्रम		
समीक्षा सह योजना बैठक		
ष्हरी जिलों के लिए एक्सपोज़र द्वारा कार्यक्रम		
नगरिक जागरुकता कार्यक्रम)यु.डी=		
योग एवं षारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम)यु.डी=		
तनाव एवं संघर्ष प्रबंधन पर केन्द्रित जीवन कौद्गल द्गिक्षा कार्यक्रम		
एआईटीडीसी/एनएसडीसी के अंतर्गत कौद्गल विकास कार्यक्रम		
महत्वपूर्ण दिवस/सप्ताह तथा नेयुकेसं के स्थापना दिवस का आयोजन		
विद्यमान प्रबोधन एवं सर्वेक्षण तंत्र को सद्गक्तिकरण		
dy ;kx ¼fu;fer dk;Zde½		
vof/k ls igys dk 0;;		
एनसीवीटी		
युवा जागरुकता		
राज्य युवा पुरस्कार		
ब्लॉक खेल टूर्नामेंट		
जिला खेल टूर्नामेंट		
हम भारत के लोग		
कार्य द्गिविर		
युवा मंडल संपर्क एवं फीडबेक कार्यक्रम		
आरएससी/वाईडीसी		
युवा मंडलों को प्रोत्साहन		
अतिद्गबाजी के विरूद्ध अभियान)एलएनबीपी=		
राजीव गांधी साहसिक कार्यक्रम		
राज्य स्तरीय प्रद्गिक्षण		
क्षमता निर्माण		
अन्य विविध कार्यक्रम		
वाईईएस कार्यक्रम		
मतदाता जागरूकता)चुनाव आयोग=		
युवाओं को प्रद्गिक्षण		
जिला/राज्य युवा पुरस्कार)व्यक्तिगत=		
dy		
fu;fer dk;Zde dy 0;;		

vk; ,o 0;; y[kk dh vu lph 31-3-2013

vu lph 16 C;kt n;	d y	d y
	31-3-2013 dk	31-3-2012 dk
ए–फिक्स ऋण पर बी–बैंक प्रभार सी– अन्य		
d y		

vu lfp;k d vuc/k 2012&13			
			d y
foxr o"k	dkM	fooj.k	31.03.2013 को
		वेतन एवं भत्ते	
		वेजिस	
		बेनस	
		पीएफ/ईएसआई में नियोक्ता का योगदान	
		चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	
		वर्दी	
		यात्रा अवकाद्रा छूट	
		वेतन एवं भत्ते	
		अवकाद्रा भुनाना	
		वेतन का बकाया	
		समयोपरि कार्य भत्ता	
		मानदेय	
		पीएफ का प्रद्रासनिक व्यय	
		द्गिक्षा षुल्क	
		नेयुके परोपकारिता निधि	
		टीडीएस	
		व्यवसायिक कर	
		एसएफएन	
		जीआईएफ	
		एलटीसी	
		पीएफ में कर्मचारियों का योगदान	
		जीपीएफ में कर्मचारियों का योगदान	
		विद्गेष कार्य भत्ता	
		सामूहिक बीमा	
		डिपोजिट लिंक इंद्गयोरेंस	
		आयकर	
		एक्सग्रेद्गेयॉं	
		d y	
		pk t	
			d y
विगत वर्ष	कोड़	fooj.k	31-03-2013 dk
		मरम्मत एवं रखरखाव कार्यालय,उपकरण/अन्य	
		मरम्मत एवं रखरखाव–वाहन	
		बीमा अन्य	
		विद्युत एवं पानी	
		बीमा–वाहन	
		टेलिफोन	
		चालू वाहन व्यय	
		किराया	
		ईडीपी उपभोज्य	
		बैंक प्रभार	
		विविध व्यय	
		स्थानीय किराया	
		गेस्ट हार्ि स मेस	
		लेखा परीक्षा षुल्क	
		षुल्क अन्य व्यवसायिक प्रभार	
		डाक	

vu|lfp;k dk vuc/k 2012&13

			dqy
foxr o"kZ	dkM	fooj.k	31.03.2013 को
		किराया एवं अन्य प्रभार)योजनागत=	
		विधिक व्यय	
		प्रभार	
		फोटो स्टेट प्रभार	
		मरम्मत एवं रखरखाव	
		स्टाफ कल्याण	
		अन्य व्यवसायिक	
		चालू वाहन व्यय	
		ए.एम.सी	
		समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	
		भाड़ा व्यय	
		वी.आई.पी. व्यय	
		मूल्यह्रास	
		सामग्री खरीद–वाहन मरम्मत एवं रखरखाव	
		विधिक षुल्क	
		सफाई प्रभार	
		अतिथ्य व्यय	
		अन्य व्यय	
		वानिकीय	
		dqy	
		Mkd ,oa en.k	
			dqy
foxr o"kZ	dkM	fooj.k	31-03-2013 dks
		डाक एवं टेलिग्राम	
		प्रिंटिंग	
		स्टेशृनरी	
		डाक/प्रिंट केन्द्र)योजनागत=	
		डाक/प्रिंट केन्द्र)योजनेत्तर=	
		dqy	
		fofo/k 0;;	
			dqy
foxr o"kZ	dkM	fooj.k	31-03-2013 dks
		पुस्तकें एवं पत्रिकायें	
		अन्य केन्द्र)योजनागत=	
		अन्य केन्द्र)योजनेत्तर=	
		प्रचार एवं विज्ञापन	
		dqy	
		;k=k 0;;	
			dqy
foxr o"kZ	dkM	fooj.k	31-03-2013 dks
		निदेशृक को टीए/डीए	
		कर्मचारियों को टीए/डीए	
		यात्रा व्यय	
		पैटोल एवं डीजल	
	कुल		

vu|lfp;k dk vuc/k 2012&13

	vu|lph&17 ifj lEifRr;kа dh ykxr			Ekk[;kу;	dqy	dqy	dqy
			31-3-2013 dks	31-3-2013 dks	31-3-2013 dks	31-3-2013 dks	31-3-2013 dks
foxr o"kZ dqy vfrfjDr	dkM	fooj.k	0k"kZ dk nkSjku lek;kstu	0k"kZ dk nkSjku tksMk x;k	0k"kZ dk nkSjku tksMk x;k	0k"kZ dk nkSjku fn;k x;k eY;àkl	0k"kZ dk nkSjku dqy vir%'k"k eY;
		भूमि की कीमत – केन्द्र					
		भवन की कीमत–केन्द्र					
		कारें					
		जीपें					
		मोटर साईकल एवं स्कूटर					
		साईकिल					
		टाइपराईटर/कैल्कुलेटर					
		फ्रिज, कूलर, एसी					
		ईडीपी मशृीन)कम्प्यूटर/प्रिंटर/यूपीएस=					
		अन्य कार्यालय उपकरण/इनवर्टर					
		कार्यालय उपकरण)विद्युत=					
		खेल उपकरण					
		व्यावसायिक प्रशृिक्षण उपकरण					
		फर्नीचर					
		फिक्सचर एवं फिटिंग					
		खेल उपकरण					
		केन्द्र की पूंजीगत खरीद)योजनागत=					
		केन्द्र की पूंजीगत खरीदें)योजनेत्तर=					
		केन्द्र की पूंजीगत खरीदें)योजनेत्तर=मुख्यालय					
		पंखे					
		फैक्स मशृीन					
		केन्द्र की पूंजीगत खरीद)योजनागत=पीवाई					
		अन्य फिटिंग					

vu|l fp ;k d vu|c/k 2012&13							
	vu|l ph&17 ifj lEifRr ;k dh ykxr			Ek[;ky ;	d|y	d|y	d|y
			31-3-2013 dk	31-3-2013 dk	31-3-2013 dk	31-3-2013 dk	31-3-2013 dk
foxr o"k d|y vfrfjDr	dkM	fooj.k	0k"k d nkjku lek;k tu	0k"k d nkjku tkMk x;k	0k"k d nkjku tkMk x;k	0k"k d nkjku fn;k x;k eY;àkl	0k"k d nkjku d|y v:r%'k"k eY;
		दान परिसम्पत्तियाँ					
		टाईपराईटर/कैलकुलेटर					
		फ्रिज, कूलर, एसी					
		ईडीपी मशीन					
		अन्य कार्यालय उपकरण					
		उपकरण आडियो/विडियो					
		व्यवसायिक प्रशिक्षण परिसम्पत्तियॉं					
		फर्नीचर					
		फर्नीचर एवं फिटिंग					
		अन्य फिटिंग					
		d|y					

vu|l ph d vu|c/k		
vu|l ph&17 0k'k d nkjku vfxek e ifjor|u	Hkou'oj	d|y
fooj.k	31-03-2013 dk	31-03-2013
जिला स्तर पर एकत्रित निधि के लिए केन्द्र के पास अग्रिम		
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		
केन्द्रों को अग्रिम)कार्यक्रम=)*=		
केन्द्रों को अग्रिम)स्थापना=)*=		
केन्द्रों को अग्रिम)पूंजीगत=)*=		
स्टाफ को ऋण		
एफडीआर पर टीडीएस		
मुख्यालय अग्रिम		
पैटी कैश अग्रिम		
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम)सुरक्षा जमा=		
कर्मचारियों को अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम – स्कूटर/मोटरसाइकिल		
स्थानान्तरण टीए अग्रिम		
एल.टी.सी. अग्रिम		
दीर्घ आवधिक अग्रिम		
कम्प्यूटर अग्रिम		
त्यौहार अग्रिम		
अन्य अग्रिम		
दीर्घ आवधिक पर अधिक ब्याज		
त्यौहार अग्रिम		
चिकित्सा अग्रिम		
स्कूटर अग्रिम		
एच.बी.ए. अग्रिम		
चालू निवेश		
निवेश पर आवधिक देयताएं		
वाहन अग्रिम		
केन्द्रों को अग्रिम		
स्टेल चैक		
कार्यक्रम व्यय अग्रिम		
स्टाफ एवं अन्य		
प्रोफेशनल कर		
एस.टी.डी पर टीडीएस		
d|y		

vuqlwph&17 o"kZ ds nkSjku tek esa ifjorZu		cxykj	dqy
		31-03-2013 dk	31-03-2013 dk
अधिसूचित बैंकों में एफटीआर			
टेलिफोन जमा			
बिल्डिंग जमा			
अन्य जमा			
dqy			

vuqlwph&17 o"kZ ds nkSjku ns;rkvksa esa ifjorZu	e[;ky;	dqy
	31-03-2013 dk	31-03-2013 dk
अवकाद्गा वेतन योगदान लेखा		
वेतन, बोनस एवं अवकाद्गा भुनाने के लिए प्रावधान		
जीपीएफ देय		
पेंद्गान देय निधि		
परोपकारिता निधि		
महानिदेद्गाक राहत कोष		
सेवानिवृत्ति निधि		
जीआईएस देय		
एल.टी.ए		
एम.ए.सी.पी. बकाया के लिए अन्य प्रावधान		
एल.टी.सी.		
एल.आई.सी.		
लेखा परीक्षा ध्रुल्क एजी		
सेवानिवृत्ति/पेंद्गान प्रावधान		
पूंजीगत खरीद		
जिला स्तरीय निधि अग्रिम		
परिसम्पत्तियों की बिक्री		
कम्प्यूटर अग्रिम		
आयकर देय		
टीडीएस		
प्रोफेद्गानल टैक्स		
स्कूटर/मोटरसाइकिल अग्रिम		
भवन निर्माण अग्रिम		
dqy		

vuqlwph 18

y[kk ij fVIi.kh ,o egÙoi.kZ y[kk uhfr;k

1- foÙkh; fooj.k dh r;kjh dk vk/kkj % यह वि÷ीय लेखा विवरण सामान्य तौर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार विगत औपचारिकताओं के तहत तैयार किया गया हैं संगठन द्वारा अन्य के अलावा प्रोदभूत लेखा प्रणाली अपनायी गई हैं

2- LFkk;h ifjlEifÙk;k ,o eY;àkl %

,- योजनागत एवं योजने÷र अनुदान के सृजित परिसम्पतियों पर व्यय सामान्य निधि से किया गया और उसे पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गयां

Ckh- संगठन के गठन के पदृचात खरीदी गई परिसम्पतियों को औपचारिक लागत के आधार पर दिखाया गया हैं तथापि संगठन द्वारा 31 मार्च 2013 को इन परिसम्पतियों का पुनः मूल्य निर्धारण किया गया और परिसम्पतियों का मूल्यह्रास/समायोजन दिखाया गया हैं

एस.एल.एम)स्टेट लाईन मैथर्ड=के अनुसार मूल्यह्रास लगाया गया जोकि निम्नानुसार हैः–

i.	कम्प्यूटर एवं ई.डी.पी. मद्गीन	16.21%
ii	कार्यालय फर्नीचर	6.33 %
iii	अन्य विद्युत उपकरण	4.75 %
iv	वाहन	9.50 %
v	व्यवसायिक प्रद्गिक्षण एवं खेल उपकरण	4.75 %
vi	भूमि एवं भवन)केवल भवन=	1.63 %

Lh- संगठन के गठन से पहले के अवधि के परिसम्पतियों का पुर्नमूल्य निर्धारण रूपये 1/– की नोद्गानल राद्गिा पर किया गया थां इसी प्रकार अनुदान में स्थानीय एजेंसियों से प्राप्त भूमि के अलावा परिसम्पतियों का पुनर्मूल्य निर्धारण रूपये 1/– की नोद्गानल राद्गिा पर किया गया थां

Mh- संगठन बजट सहयोग के अंतर्गत पूर्णतः सरकार द्वारा वि÷ा पोषित हैं निर्धारित परिसम्पत्तियों की लागत के बराबर व्यक्तिगत निधि विगत लागत के अनुसार दिखायी गयी हैं

3- vk; ,o 0;; dh igpku

,- lgk;rk vuqnku – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान राद्गिा को प्रोदभूत आधार पर वर्ष की आय माना गया है और वर्ष के अन्त में प्राप्त होने वाले अनुदान राद्गिा के लिए प्रावधान रखा गया हैं

नेहरू युवा केन्द्र संगठन की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राद्गिा को आय मानते हुए आय एवं व्यय लेखों में रखा गया हैं विद्गोष/प्रायोजित कार्यकमों के लिए प्राप्त अनुदान राद्गिा को निर्धारित निधि के रुप में माना गया है और इसके लिए विद्गोष खाता रखा गया हैं वर्ष की अप्रयुक्त राद्गिा को तुलनपत्र में देयताओं की तरफ दिखाया गया हैं

Ckh- सावधि जमा राद्गिा पर अर्जित ब्याज की पहचान प्रोदभूत आधार पर की गई हैं

Lkh- बचत खाते पर ब्याज, संबंद्धता ध्रुल्क, युवा मण्डल निर्देद्गिाका की बिक्री की राद्गिा को नकद आधार पर रखा गया हैं

Mh- बडे विद्गोष /प्रायोजित कार्यक्रम जैसे जीजीजी, एस.जी.एस.वाई, एन.आई.सी., एन.वाई.एफ. एन.एस.वी. योजना, आरएसवाई योजना/एन.आर.सी, किद्गोरावस्था कार्यक्रम और एन.वाई.सी. में अर्जित ब्याज को संबंधित कार्यक्रम के नामे)क्रेडिट=में रखा गया हैं

b- कर्मचारियों के लाभ जैसे अवकाद्ग भुनाना एवं बोनस आदि को प्रावधान के तौर पर रखा गया हैं

,Q- मुख्यालय और मण्डल कार्यालयों द्वारा किये गये व्यय को मुख्यालय में उस अवधि के दौरान उनके वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा उस अवधि के लिए उनके वि÷ीय विवरण के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर समेकित किया गया हैं इन व्ययों की प्रविष्टि वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा केन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण के आधार पर की गई हैं

4- c;; dk fy, ikso/kku :

वर्ष के दौरान रूपये 17,90,78,727/– का प्रावधान वेतन, बोनस के लिए रूपये 12,73,44,527/– का सेवानिवृत्ति निधि, रुपये 1,08,93,865/– ग्रेच्युटी पेय के लिए तथा रूपये 7,39,29,509.55/– का प्रावधान पेंद्गान के लिए किया गया हैं

5- _.k ,o vfxze : ऋण एवं अग्रिम जिसमें)ए=रूपये 235.518 मिलियन की राद्गि क्षेत्र कार्यालयों एवं मण्डल कार्यालयों में अप्रयुक्त राद्गि के रूप में पडी हुई है तथा)बी=रूपये)7.32=मिलियन की राद्गि क्षेत्र कार्यालयों में समायोजन तथा)सी=रुपये 1.36 मिलियन केन्द्रों के पास जिला स्तर पर एकत्रित निधि के अग्रिम रुप में रखी हैं इस राद्गि के पूर्व समाद्गोधन की उपलब्धता के अभाव में यह राद्गि षायद पूर्व में किए गए व्यय हो सकती है जिसे खातों में दर्ज नहीं किया गयां

6- संस्थाओं/आपूर्तिकर्ताओं, मण्डलों, केन्द्रों पर षेष राद्गि उनकी पुष्टि पर निर्भर करती हैं

7- विगत वर्ष के राद्गियों को जहॉं कहीं आवद्गयक होने पर पुनः श्रेणीबद्ध किया गया हैं

8- समस्त बेकार परिसम्पत्तियों को बही खातों में दिखाया गया है और एसएलएम पर मूल्यह्रास दिखाया गया हैं नेहरु युवा केन्द्र भवन निर्माण पर व्यय को पूंजीगत बताया गया है और इसे निर्माणाधीन/निर्मित परिसम्पत्तियों के मूल्य में जोड़ा गया हैं जिला नेहरु युवा केन्द्रों को दान में मिली भूमि को औपचारिक मूल्य में दिखाया गया हैं

9- दिनांक 31.03.2013 को रुपये 178.08 की पेंद्गनदेयताओं की बीमांकिक मूल्य की राद्गि को वर्तमान पेंद्गन/फैमिली पेंद्गन में दिखाया गया है और कर्मचारियों को सरकार के सीसीएस पेंद्गन नियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंद्गन लाभ देना स्वीकृत किया गया हैं इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2013 को बीमांकिक द्वारा 31.03.2013 को ग्रेच्यूटी के लिए रुपये 55.26 करोड़ और अवकाद्ग भुनाने के लिए 44.46 करोड़ की राद्गि दिखाई गई हैं इन देयताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से इसकी मॉंग की गई हैं

10- प्रमोद्गन, स्थानान्तरण, एम.ए.सी.पी/उच्च वेतनमान और सीसीएस)पेंद्गन=नियमों के अंतर्गत पेंद्गन आदि देने के लिए विभिन्न न्यायालयों में संगठन के विरुद्ध 125 मामले लंबित हैं सीसीएस)पेंद्गन=नियमों के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को विधिक मामलों के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं के लिए 31.03.2013 को 152.36 करोड़ की राद्गि का आंकलन बीमांकिक द्वारा किया गया हैं

Ukg# ;ok dUnz laxBu

fnukad 31-03-2013 dk lekIr gkus okys for o"k dk fy,

Tkhih,Q fuf/k y[kk

fooj.k	jkf'k ¼#i;s esa½	fooj.k	jkf'k ¼#i;s esa½
fnukad 1 vizy 2012 dk vkfn "k'k		fnukad 1 vizy 2012 dk vkfn "k'k	
कर्मचारियों को देय जीपीएफ जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त योगदान जोड़े : वर्ष के लिए देय ब्याज अंतःद्गेष आगे ले जायें बचत खाते में षेष एफडीआर मे षेष अर्जित ब्याज व्यय पर निधि अधिक्य		बचत खाते में षेष एफडीआर मे षेष बचत खाते में प्राप्त ब्याज एफडीआर पर जमा ब्याज एफडीआर पर अर्जित ब्याज सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किया गया भुगतान अंतःद्गेष आगे ले जायें कर्मचारियों को देय राद्गि	

अनुबंध

अनुबंध–1

वर्ष 2012–13 के दौरान मंडलवार जिला स्तरीय नियमित कार्यक्रम

1. मेंटर युवा मंडलों की स्थापना

क्र.सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	चयनित गतिविधियॉ
1	आंध्र प्रदेश		
2	अरुणाचल प्रदेश		
3	आसाम		
4	बिहार		
5	छत्तीसगढ़		
6	दिल्ली		
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव		
8	हरियाणा		
9	हिमाचल प्रदेश		
10	जम्मू एवं कश्मीर		
11	झारखंड़		
12	कर्नाटक		
13	केरल तथा लक्षद्वीप		
14	मध्य प्रदेश		
15	महाराष्ट्र तथा गोवा		
16	मणिपुर		
17	मेघालय		
18	मिजोरम		
19	नागालैंड		
20	उडीसा		
21	पंजाब एवं चंडीगढ़		
22	राजस्थान		
23	सिक्किम		
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी		
25	त्रिपुरा		
26	उत्तर प्रदेश		
27	उत्तराखंड		
28	पश्चिमी बंगाल		
	कुल		

अनुबंध–2

2. मेंटर युवा मंडलों के कार्यालय के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार द्वीप समूह																				
	कुल																				

अनुबंध–3

3. युवा मंडल अभियान का सशक्तिकरण एवं सक्रियकरण

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–4

4 युवा मंडलों आदान–प्रदान कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–5

5. युवा मंडलों के लिए खेल सामग्री का प्रावधान

क.सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	चयनित गतिविधियॉं
1	आंध्र प्रदेश		
2	अरुणाचल प्रदेश		
3	आसाम		
4	बिहार		
5	छत्तीसगढ़		
6	दिल्ली		
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव		
8	हरियाणा		
9	हिमाचल प्रदेश		
10	जम्मू एवं कश्मीर		
11	झारखंड़		
12	कर्नाटक		
13	केरल तथा लक्षद्वीप		
14	मध्य प्रदेश		
15	महाराष्ट्र तथा गोवा		
16	मणिपुर		
17	मेघालय		
18	मिजोरम		
19	नागालैंड		
20	उडीसा		
21	पंजाब एवं चंडीगढ़		
22	राजस्थान		
23	सिक्किम		
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी		
25	त्रिपुरा		
26	उत्तर प्रदेश		
27	उत्तराखंड		
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार		
	कुल		

अनुबंध–6

6 जिला युवा सम्मेलन

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–7

7. महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–8

8 ए.टी.डी.सी. के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क.सं.	जिले का नाम	राज्य	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
2	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
3	अमेठी	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
4	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
5	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
6	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	एआईसीसी		
7	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	एआईसीसी		
8	पदरोना	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
9	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
10	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
11	शाहजहाँपुर	उत्तर प्रदेश	कौशल शिविर		
12	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	एआईसीसी		
13	पटना	बिहार	एआईसीसी		
14	मोतीहारी	बिहार	कौशल शिविर		
15	गया	बिहार	कौशल शिविर		
16	हाज़ीपुर	बिहार	कौशल शिविर		
17	मुज्जफ्फरपुर	बिहार	कौशल शिविर		
18	सीवान	बिहार	कौशल शिविर		
19	छपरा	बिहार	कौशल शिविर		
20	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	कौशल शिविर		
21	रायपुर**	छत्तीसगढ़	एआईसीसी		
22	दुर्ग**	छत्तीसगढ़	कौशल शिविर		
23	भिलाई**	छत्तीसगढ़	केन्द्र		
24	दमन	गुजरात	कौशल शिविर		
25	अहमदाबाद	गुजरात	केन्द्र		
26	वडोदरा**	गुजरात	केन्द्र		
27	सूरत	गुजरात	एआईसीसी		
28	गोधरा	गुजरात	कौशल शिविर		
29	बदरपुर	दिल्ली	कौशल शिविर		
30	दिलशाद गॉर्डन	दिल्ली	केन्द्र		
31	रोहिणी	दिल्ली	एआईसीसी		
32	फरीदाबाद	हरियाणा	एआईसीसी		
33	मेवात	हरियाणा	केन्द्र		
34	गुडगांव	हरियाणा	एआईसीसी		
35	भिवानी	हरियाणा	कौशल शिविर		
36	हज़ारीबाग	झारखंड़	केन्द्र		
37	सिंहभूम**	झारखंड़	कौशल शिविर		
38	रांची	झारखंड़	एआईसीसी		
39	कन्नूर	केरल	एआईसीसी		
40	मल्लापुरम	केरल	कौशल शिविर		
41	कोल्लम	केरल	कौशल शिविर		
42	कोजीकोड़	केरल	कौशल शिविर		
43	बैंगलोर	कर्नाटक	एआईसीसी		
44	कोलार	कर्नाटक	केन्द्र		
45	तुमकुर	कर्नाटक	केन्द्र		
46	लुधियाना	पंजाब	एआईसीसी		
47	मुंबई	महाराष्ट्र	एआईसीसी		
48	नागपुर	महाराष्ट्र	केन्द्र		
49	नासिक	महाराष्ट्र	केन्द्र		
50	कोरापुट	ओडिशा	केन्द्र		
51	भुवनेश्वर	ओडिशा	एआईसीसी		
52	संभलपुर	ओडिशा	कौशल शिविर		
53	कांधामल	ओडिशा	कौशल शिविर		
54	कटक	ओडिशा	केन्द्र		
55	बहरामपुर**	ओडिशा	केन्द्र		
56	बारीपाडा	ओडिशा	केन्द्र		
57	जयपुर	राजस्थान	एआईसीसी		
58	भीलवाडा	राजस्थान	केन्द्र		
59	जोधुपर	राजस्थान	केन्द्र		
60	पुष्कर–अजमेर	राजस्थान	कौशल शिविर		
61	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	कौशल शिविर		
62	अलवर	राजस्थान			
63	तिरुपुर	तमिलनाडू	एआईसीसी		
64	सेलम	तमिलनाडू	केन्द्र		
65	धर्मापुरी	तमिलनाडू	केन्द्र		
66	ईरोड़	तमिलनाडू	केन्द्र		
67	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एआईसीसी		
68	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	कौशल शिविर		
69	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल	एआईसीसी		
	कुल				

जीसीटी** – गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेकनीक, एसओ (बी+ए)* – सिविंग ऑपरेटर (बेसिक+एडवांस)

अनुबंध–9

9. तनाव एवं संघर्ष प्रबंधन पर फोकस के साथ जीवन कौशल शिक्षा

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

अनुबंध–10

10. ब्लॉक स्तरीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–11

11. जिला स्तरीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम/लोक सांस्कृतिक कार्यशाला

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–12

12. राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–13

13. हस्तशिल्प पर युवाओं के लिए प्रदर्शनी (युवा कृति)

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–14

14. युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–15

17 मैट्रो/शहरी जिला नेहरु युवा केन्द्रों के लिए विशेष कार्यक्रम

1. शहरी जिला नेहरु युवा केन्द्रों के लिए युवा सुविधादाता केन्द्र

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब तथा चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

अनुबंध–16

2. शहरी जिला युवा केन्द्रों के लिए संस्थागत छवि निर्माण कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–17

3. शहरी जिला नेहरु युवा केन्द्रों के लिए चरित्र निर्माण, नेतृत्व एवं नशे के दुष्परिणाम पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्यशाला

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

अनुबंध–18

4. शहरी जिला नेहरु युवा केन्द्रों के लिए नागरिक जागरुकता कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–19

5. शहरी जिला नेहरु युवा केन्द्रों के लिए योग एवं शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–20

6. हस्त शिल्प कला एवं लोक कथा उत्सव

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–21

राज्य/मंडल स्तरीय नियमित कार्यक्रम – 2012–13

1. युवाओं के लिए हस्तशिल्प पर प्रदर्शनी (युवा कृति) तथा राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब एवं चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–22

2. राज्य युवा सम्मेलन (सुविचार)

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ा वर्ग			अन्य			कुल योग		
				पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																				
2	अरुणाचल प्रदेश																				
3	आसाम																				
4	बिहार																				
5	छत्तीसगढ़																				
6	दिल्ली																				
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव																				
8	हरियाणा																				
9	हिमाचल प्रदेश																				
10	जम्मू एवं कश्मीर																				
11	झारखंड़																				
12	कर्नाटक																				
13	केरल एवं लक्षद्वीप																				
14	मध्य प्रदेश																				
15	महाराष्ट्र तथा गोवा																				
16	मणिपुर																				
17	मेघालय																				
18	मिजोरम																				
19	नागालैंड																				
20	उडीसा																				
21	पंजाब एवं चंडीगढ़																				
22	राजस्थान																				
23	सिक्किम																				
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी																				
25	त्रिपुरा																				
26	उत्तर प्रदेश																				
27	उत्तराखंड																				
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एव निकोबार																				
	कुल																				

अनुबंध–23

3. मंडल स्तरीय समीक्षा सह योजना बैठक

क.सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	चयनित गतिविधियॉं
1	आंध्र प्रदेश		
2	अरुणाचल प्रदेश		
3	आसाम		
4	बिहार		
5	छत्तीसगढ़		
6	दिल्ली		
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव		
8	हरियाणा		
9	हिमाचल प्रदेश		
10	जम्मू एवं कश्मीर		
11	झारखंड़		
12	कर्नाटक		
13	केरल तथा लक्षद्वीप		
14	मध्य प्रदेश		
15	महाराष्ट्र तथा गोवा		
16	मणिपुर		
17	मेघालय		
18	मिजोरम		
19	नागालैंड		
20	उडीसा		
21	पंजाब एवं चंडीगढ़		
22	राजस्थान		
23	सिक्किम		
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी		
25	त्रिपुरा		
26	उत्तर प्रदेश		
27	उत्तराखंड		
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार		
	कुल		

अनुबंध–24

युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक

क.सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	चयनित गतिविधियॉं
1	आंध्र प्रदेश		
2	अरुणाचल प्रदेश		
3	आसाम		
4	बिहार		
5	छत्तीसगढ़		
6	दिल्ली		
7	गुजरात तथा दमन एवं दीव		
8	हरियाणा		
9	हिमाचल प्रदेश		
10	जम्मू एवं कश्मीर		
11	झारखंड़		
12	कर्नाटक		
13	केरल तथा लक्षद्वीप		
14	मध्य प्रदेश		
15	महाराष्ट्र तथा गोवा		
16	मणिपुर		
17	मेघालय		
18	मिजोरम		
19	नागालैंड		
20	उडीसा		
21	पंजाब एवं चंडीगढ़		
22	राजस्थान		
23	सिक्किम		
24	तमिलनाडू एवं पांडिचेरी		
25	त्रिपुरा		
26	उत्तर प्रदेश		
27	उत्तराखंड		
28	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार		
	कुल		

अनुबंध–25

मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित के नाम	जिलों की संख्या	शामिल युवा मंडलों की संख्या	वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य	वृक्षारोपण के लिए प्राप्त लक्ष्य
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
2	आंध्र प्रदेश				
3	अरुणाचल प्रदेश				
4	आसाम				
5	बिहार				
6	चंडीगढ़				
7	छत्तीसगढ़				
8	दादर नगर हवेली				
9	दमन एवं दीव				
10	दिल्ली				
11	गोवा				
12	गुजरात				
13	हरियाणा				
14	हिमाचल प्रदेश				
15	जम्मू एवं कश्मीर				
16	झारखंड				
17	कर्नाटक				
18	केरल				
19	लक्षद्वीप				
20	मध्य प्रदेश				
21	महाराष्ट्र				
22	मणिपुर				
23	मेघालय				
24	मिजोरम				
25	नागालैंड				
26	उडीसा				
27	पांडिचेरी				
28	पंजाब				
29	राजस्थान				
30	सिक्किम				
31	तमिलनाडू				
32	त्रिपुरा				
33	उत्तर प्रदेश				
34	उत्तराखंड				
35	पश्चिमी बंगाल				
	कुल				

अनुबंध–26

एमपीवाईएडी के अंतर्गत अंतर युवा मंडल खेलों का मंडलवार विवरण – वर्ष 2012–13

क्र. सं.	राज्य	जिला नेयुके की कुल संख्या	कार्यक्रम आयोजित करने वाले जिला नेयुकेन्द्रों की संख्या	वास्तविक		वित्तीय		प्रतिभागी																	
				लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्त किए	जारी राशि (स्वीकृत राशि का 90%)	प्रयुक्त राशि	अनु.जा.			अजजा			अपिव			विकलांग			सामान्य			कुल योग		
								पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																								
2	अरुणाचल प्रदेश																								
3	आसाम																								
4	बिहार																								
5	छत्तीसगढ़																								
6	दिल्ली																								
7	गुजरात																								
8	हरियाणा																								
9	हिमाचल प्रदेश																								
10	जम्मू एवं कश्मीर																								
11	झारखंड़																								
12	कर्नाटक																								
13	केरल																								
14	मध्य प्रदेश																								
15	महाराष्ट्र																								
16	मणिपुर																								
17	मेघालय																								
18	मिजोरम																								
19	नागालैंड																								
20	उडीसा																								
21	पंजाब एवं चंडीगढ़																								
22	राजस्थान																								
23	सिक्किम																								
24	तमिलनाडू																								
25	त्रिपुरा																								
26	उत्तर प्रदेश																								
27	उत्तराखंड																								
28	पश्चिमी बंगाल																								
	कुल																								

अनुबंध–27

किशोर मंडल गतिविधियाँ : गतिविधीकर्ता एवं लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	जिले का नाम	किशोर मंडलों की संख्या	गतिविधियों की संख्या	लाभार्थी																	
						अनु.जा.			अजजा			अपिव			सामान्य			अल्पसंख्यक			कुल योग		
						पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	आंध्र प्रदेश																						
2	अरुणाचल प्रदेश																						
3	आसाम																						
4	बिहार																						
5	छत्तीसगढ़																						
6	दिल्ली																						
7	गुजरात																						
8	हरियाणा																						
9	हिमाचल प्रदेश																						
10	जम्मू एवं कश्मीर																						
11	झारखंड़																						
12	कर्नाटक																						
13	केरल																						
14	मध्य प्रदेश																						
15	महाराष्ट्र																						
16	मणिपुर																						
17	मेघालय																						
18	मिजोरम																						
19	नागालैंड																						
20	उडीसा																						
21	पंजाब एवं चंडीगढ़																						
22	राजस्थान																						
23	सिक्किम																						
24	तमिलनाडू																						
25	त्रिपुरा																						
26	उत्तर प्रदेश																						
27	उत्तराखंड																						
28	पश्चिमी बंगाल																						
	कुल																						

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

वर्ष 2012–13 की डीजीएसईई (एसएआर) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के उत्तर

ऑडिट पैरा संख्या	ऑडिट पैरा	उत्तर
ए.1.	जी.पी.एफ (रूपये 1.00 करोड), सेवानिवृत्ति निधि (रूपये 12.01 करोड) पेंषन निधि (रूपये 5.90 करोड) का निवेश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियत तालिका के अनुसार निवेश नहीं किया गया है सारा निवेश रूपये 18.91 करोड (100:) को राष्ट्रीय बैंकों में सावधि जमा के अंतर्गत निवेश किया गया है। विगत वर्ष की रिपोर्ट में भी इस ओर ध्यानाकर्षित किया गया थाय तथापि नेयुकेस द्वारा कोई कार्यवाई नही की गई है।	इस विषय में लेखा परीक्षा की टिप्पणी पर ने.यु.के.स द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नही की गयी है। तथापि निधि की न्यूनता तथा भविष्य में नकद राशि की आवश्यकता को देखते हुए। इसे सरकारी प्रतिभूतियों और बांड में निवेश करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह दीर्घावधिक निवेश है (08 वर्ष और अधिक)। इस आडिट पैरा को ध्यान में रखते हुए निधि के निवेश के लिए दिनॉक 24.12.2013 को आयोजित बैठक में शासी बोर्ड द्वारा दिशा–निर्देश प्राप्त हुए थे। शासी बार्ड के निर्देशानुसार न्यास के गठन और एलआईसी में निधि के निवेश का मामला युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को दिनॉक 10.01.2014 को प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कुछ जानकारी मॉगी गयी थी जिनका उत्तर पत्र दिनॉक 26.08.2014 तथा 15.03.2015 के द्वारा दे दिया गया है। इस मामले में मंत्रालय का निर्णय प्रतिक्षित है।
ए.2	नेहरू युवा केन्द्र, कुचबिहार, बांकुरा तथा मण्डल निदेशक, इटानगर द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान लेखें तैयार किए गए हैं लेकिन वर्ष अंत में उनके द्वारा आय एवं व्यय लेखें और तुलन पत्र तैयार नहीं किए गए हैं। इसके कारण लेखा परीक्षा में परिसम्पत्तियों का मूल्य और वर्ष अंत में उनके मूल्यह्रास का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। विगत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में इस बात की ओर ध्यानाकर्षित करने के बावजूद भी स्थानीय कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान तुलन पत्र आय एवं व्यय लेखों को तैयार नहीं किया गया है।	लेखा परीक्षा की टिप्पणी के अनुसार क्षेत्र के कार्यालयों को वित्त वर्ष के अन्त में प्राप्ति एवं भुगतान लेखो के साथ–साथ आय एवं व्यय लेखो तथा तुलन पत्र तैयार करने के लिए कहा गया है। अधिकतर क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा इसे तैयार करना आरम्भ कर दिया गया है। नेयुकेसं द्वारा क्षेत्र कार्यालयों में लेखे तैयार करने के लिए वर्ष 2015–16 से टेली सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर दिया गया है इसके द्वारा अपने आप आय एवं व्यय लेखा तुलन पत्र तैयार होगा।
ए.3	अनूसूची 3 मे निर्धारित निधि (विशेष कार्यक्रम एमवाईएस) तथा अनूसूची 4 में निर्धारित निधि (प्रायोजित कार्यक्रम) दिनांक 31–3–2013 को तुलन पत्र में एक भाग के रूप में ऋणात्मक अर्थ शेष के रूप में दर्शाये गए है। ऋणात्मक शेष होने के बावजूद, कुछ कार्यक्रमों में वर्ष के दौरान व्यय किया गया है और वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि से अधिक व्यय किया गया है। किशोर कार्यक्रमों के अंतर्गत रू.9,324/– की ब्याज राशि अर्जित की है, जबकि कार्यक्रम का ऋणात्मक शेष था और वर्ष के दौरान कोई अनुदान राशि प्राप्त नही हुई थी। लेखा परीक्षकों द्वारा नोट किया गया की इन कार्यक्रमों कें अंतर्गत व्यय करने के लिए अधिकृत नही किया गया था। क्योंकि है। ऋणात्मक अर्थ शेष या निधि की उपलब्धता किए गए व्यय से अधिक थी। इस शेष को समायोजित करने की आवश्यकता है।	अनूसूची–3 एंव 4 में योजनावार शेष का समायोजन किया जा रहा है पूर्व अवधि मे अंतर्गत हुई आय/व्यय पर समायोजन प्रविष्टियॉं समायोजित की जा सकती है, जो शेष को प्रभावित कर सकती है। समायोजन की कार्यवाही के परिणाम को उपयुक्त योजना में दिखाया जाएगा जिससे कि वर्ष 2015–16 के लेखो में योजनावार शेष को सही किया जा सके।
ए.4	निर्धारित निधि (विशेष कार्यक्रम) तथा निर्धारित निधि (प्रायोजित कार्यक्रम) का अंतिम षेश तुलन पत्र की क्रमषः अनुसूची 3 एवं 4 में दिखाया गया है। इनका सत्यापन नही किया जा सका क्योंकि नेयुकेस के पास अंतिम शेष उपलब्ध नही था।	नेयुकेस के छः वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा मुख्यालय द्वारा प्रत्येक विशेष/प्रायोजित कार्यक्रम के अर्न्तगत अंतिम शेष का विवरण लेखा परीक्षको को इन वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा मुख्यालय के तुलन पत्र के साथ उपलब्ध कराया गया था।
ए.5	रूपये 23.55 करोड और रूपये 5.90 (अनुसूची–7) करोड की राशि क्रमशः केन्द्रों को अग्रिम, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र और स्टाफ को अग्रिम, आपूर्ति. कर्ता और अन्य को ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दिखाई गई वर्षवार/केंद्रवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नही कराये जा सकें। विगत वर्ष की रिर्पोट में भी इस ओर ध्यानाकर्षित किया गया था, तथापि नेयुकेस द्वारा कोई कार्यवाई नही की गई है।	सीमित श्रमशक्ति के बावजूद केन्द्रो के लम्बित अग्रिम के उपयोगिता प्रमाण–पत्रो के समायोजन का कार्य वर्ष 2014–15 मे वरीयता के आधार पर किया गया था। प्रथम चरण में समायोजन का कार्य वेतन एवं लेखा कार्यालय गॉधीनगर और मुख्यालय मे किया गया जिसमें रू. 5.50 करोड का समायोजन पाया गया और जिसे वर्ष 2014–15 के लेखो मे षामिल किया गया। नेयुकेस के अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ भी यह प्रकिया वर्ष 2015–16 के दौरान की जा रही है जिससे की अग्रिमें को न्यूनतम किया जा सकें।
ए.6	राशि (–) रूपये 7.33 करोड की राशि (अनुसूची–7) में वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अग्रिम के रूप में दिखाई गई है जोकि समाशोधन के लिए लम्बित है। इस राशि का समाशोधन नहीं किया गया है और घाटा शेष वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में समान ही है।	मुख्यालय तथा वेतन एवं लेखा कार्यालयों के बीच समायोजन का कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणाम वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखो में दर्शाएँ जायेगें।

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्श के लिए
नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा आख्या

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियॉं एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुभाग 20 (1) के तहत दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखों के संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा 2015–16 तक के लिए सौंपा गया है। इन वित्त विवरणों का दायित्व नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा आख्या में सर्वश्रेष्ठ लेखा व्यवहार मानक एवं स्पष्टीकरण आदर्शों सहित वर्गीकरण एवं अनुकूलता को दृष्टिगत करते हुये लेखा व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियॉं शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितत्ता) एवं कार्य क्षमता सह प्रदर्शन के पहलू आदि समेत अनु. पालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा मत को, यदि कोई हो, भी निरीक्षण आख्या/सीएजी लेखा आख्या में अलग से दिया गया है।

3. हमने लेखा परीक्षा भारत के सामान्यतः स्वीकृत सामान्य लेखा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार से नियोजित एवं निष्पादित करें जिसमें इस बात की तार्किकता सुनिश्चितता हो कि यह वित्तीय विवरण, गलत विवरणों से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में जॉंच, नमूना, आधारित परीक्षा, लेखों को समर्थन करने वाले साक्ष्य तथा वित्तीय विवरण तथा उनका स्पष्टीकरण शामिल हो। एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा निध्ाारण, सिद्धांत एवं प्रबंधन द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरण के समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत की तार्किकता का आधार प्रस्तुत करेगी।

4. अपने लेखा परीक्षा के आधार पर हम आख्या प्रस्तुत करते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- तुलन पत्र एवं आय लेखा तथा भुगतान लेखा जिसका आख्या में प्रयोग किया गया है उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बनाया गया है।
- हमारे विचार से नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रख रखाव उचित प्रकार से किया गया है। ऐसा हमारे द्वारा उन पुस्तिकाओं के परीक्षण से प्रतीत होता है।
- इसके अलावा हम आख्या देते हैं कि :

ए. सामान्यः

ए.1 जी.पी.एफ (रूपये 1.00 करोड), सेवानिवृत्ति निधि (रूपये 12.01 करोड) पेंशन निधि (रूपये 5.90 करोड) का निवेश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवेश नहीं किये गये और उपरोक्त सभी निवेश राशि रूपये 18.91 करोड (100:) को राष्ट्रीय बैंकों में सावधि जमा के अंतर्गत निवेश किया गया है। विगत वर्ष की रिपोर्ट में भी इस ओर ध्यानाकर्षित किया गया थाः तथपि नेयुकेस द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

ए.2 नेहरू युवा केन्द्र, कूचबिहार, बांकुरा तथा मण्डल निदेशक, इटानगर द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान लेखें तैयार किए गए हैं लेकिन वर्ष अंत में उनके द्वारा आय एवं व्यय लेखें और तुलन पत्र तैयार नहीं किए गए हैं। इसके कारण लेखा परीक्षा में परिसम्पत्तियों का मूल्य और वर्ष अंत में उनके मूल्यह्रास का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। विगत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में इस बात की ओर ध्यानाकर्षित करने के बावजूद भी स्थानीय कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान तुलन पत्र आय एवं व्यय लेखों को तैयार नहीं किया गया है।

ए.3 ऋणात्मक शेष दर्शाना (अनूसूची 3 एवं 4 – निर्धारित निधि)

अनूसूची 3 मे निर्धारित निधि (विषेश कार्यक्रम एमवाईएस) तथा अनूसूची 4 में निर्धारित निधि (प्रायोजित कार्यक्रम) दिनांक 31–3–2013 को तुलन पत्र में एक भाग के रूप में ऋणात्मक अथ शेष के रूप में दर्शाये गए है। ऋणात्मक शेष होने के बावजूद कुछ कार्यक्रमों में वर्ष के दौरान व्यय किया गया है और वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि से अधिक व्यय किया गया है। किशोर कार्यक्रमों के अंतर्गत रू.9,324/– की ब्याज राशि अर्जित की है, जबकि कार्यक्रम का ऋणात्मक शेष था और वर्ष के दौरान कोई अनुदान राशि प्राप्त नही हुई थी। विवरण निम्नानुसार है :–
(राशि लाख में)

कार्यक्रम का नाम	अर्थ शेष	प्राप्त अनुदान	व्यय	अंतिम शेष
युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम	(–) 83,019	8,56,000	30,69,399	(–) 22,96,418
आई सी डी एस	(–) 10,02,465	––	2,42,252	(–) 12,44,917
मेरी धरती मेरा कर्तव्य	(–) 4,35,066	1,89,000	4,30,111	(–) 6,76,177
पूर्वोत्तर के विभिन्न कार्यक्रम	13,35,291	1,48,43,809	3,23,35,654	(–) 1,61,56,554
आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम	51,61,264	––	1,34,37,802	82,76,538
सेव किड्स	1,52,502	––	12,500+3,23,066	
(लौटई गयी)	(–)1,83,064			
पल्स पोलियो के लिए युवा	शून्य	शून्य	351400	(–) 3,51,400
किशोर कार्यक्रम	(–) 52,37,553	ब्याज 9,324	62,44,805	(–) 1,14,73,033

लेख परीक्षकों द्वारा नोट किया गया की इन कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय करने के लिए अधिकृत नही किया गया था। क्योंकि ऋणात्मक अर्थ शेष या निधि की उपलब्धता किए गये व्यय से अधिक थी। इस शेष को समायोजित करने की आवश्यकता है।

ए. 4 निर्धारित निधि (विशेष कार्यक्रम) तथा निर्धारित निधि (प्रायोजित कार्यक्रम) का अंतिम शेष तुलन पत्र की क्रमशः अनुसूची 3 एवं 4 में दिखाया गया है। लेकिन लेख परीक्षकों को आदि शेष के सहयोगी मूलभूत अभिलेख न देखाये जाने के कारण इनका सत्यापन नही किया जा सका।

ए. 5 रूपये 23.55 करोड और रूपये 5.90 (अनुसूची–7) करोड की राशि क्रमशः केन्द्रों को अग्रिम, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र और स्टाफ को अग्रिम, आपूर्तिकत्र और अन्य को ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दिखाई गयी है। इस शेष का समायोजन किया जाना है तथा इसका परिणाम लेखा परीक्षा में दिखायें।

ए.6 राशि (–) रूपये 7.33 करोड की राशि (अनुसूची–7) में वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अग्रिम के रूप में दिखाई गई है जोकि समाषोधन के लिए लम्बित है। इस राशि का समाशोधन नहीं किया गया है और घाटा शेष वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में समान ही है।

बी. सहायता अनुदान

नेहरू युवा केन्द्र संगठन को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा सामान्य कार्यों और विशेष कार्यों के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इसे अन्य मंत्रालयों/विभागों एवं एजेंसियों द्वारा भी अनुदान राशि प्राप्त होती है। वर्ष 2012–13 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा प्राप्त एवं प्रयोग की गई अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है–

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

उद्देश्य	दि. 1.4. 2012 के दौरान आदि शेष	वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्ति			ब्याज /अन्य आय	कुल	प्रयुक्त राशि	वापस की गई राशि	दि. 31. 03.2013 को अप्रयुक्त शेष
		योजनागत	एनईआर	योजनेत्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य उद्देश्य (अनुसूची–2)	26.76	95.20	11.00	28.47	4.78	166.21	130.89	शून्य	35.32
विशेष कार्यक्रम (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अनुसूची–3)	36.99	51.81							
	1.23	90.03	25.83	1.46	62.74				
प्रायोजित कार्यक्रम (अन्य मंत्रालय एवं विभाग अनुसूची–4)	24.66	5.67							
	5.40	35.73	16.43	0.85	18.45				

v. पूर्ववर्ती पैरा में हमारी मत के क्रम में हम आख्या प्रस्तुत करते हैं कि तुलन पत्र और आय व्यय लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार ही है।

vi. हमारी सूचना के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि उपरोक्त वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियॉं के अनुसार माना जाये तथा विशेष रूप से उपरोक्त वर्णित विवरण एवं अन्य विवरण जिनको इस लेखा संलग्नकों में दिया गया है वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है तथा सत्य एवं उचित है।

ए. जहॉं तक तुलनपत्र का संबंध है यह नेयुकेस की दि. 31.03.2013 की वित्तीय स्थिति के विषय में है।
बी. जहॉं तक आय एवं व्यय लेखा का संबंध है यह वर्षांत में अधिशेष के संबंध में है।

कृते नियंत्रण महालेखा परीक्षा भारत सरकार की ओर से
हस्ताक्षर

महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय व्यय
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.7.2015

संलग्नक

1. आन्तरिक लेखा पद्धति की पर्याप्तता

• युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा की गयी। वर्ष 2012–13 के लिए नेयुकेस के वेतन एवं लेख कार्यालयों के लेखों की लेख परीक्षा चार्टेड, एकाउन्टेंट द्वारा की गयी जिसे पर्याप्त पाया गया।

2. आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली की पर्याप्तता

• लेखा परीक्षा के आपत्तियों के लिए प्रबंधन प्रतिक्रियाशील नहीं है क्योंकि वर्ष 1992–93 से 2009–2010 तक की अवधि के लिए 40 पैरा लम्बित है।

• नेयुकेसं द्वारा भवन निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम के लिए कोई बॉडशीट तैयार नहीं की गई है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

• वर्ष 2012–13 के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नही पाई गई।

4. वस्तु सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

• स्टेशनरी एवं उपभोज्य मदों का वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नही पाई गई।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

• वार्षिक लेखों के अनुसार दिनांक 31.3.2013 तक कोई भी सांवैधिक भुगतान 6 माह से अधिक लम्बित नहीं था ।

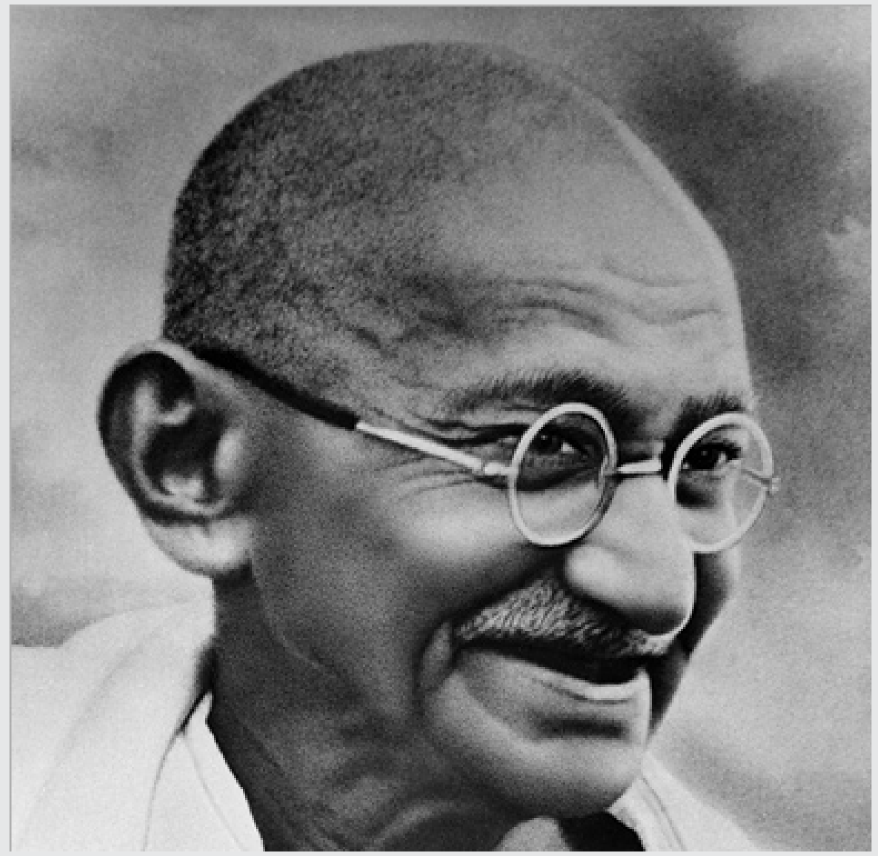

"Non-violence is the greatest force man has been endowed with. Truth is the only goal he has. For God is none other than Truth. But Truth cannot be, never will be, reached except through nonviolence. That which distinguishes man from all other animals is his capacity to be non-violent. And he fulfils his mission only to the extent that he is non-violent and no more."

- Mahatma Gandhi

विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

नेहरु युवा केन्द्र संगठन

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली – 110 092

फोनः +91–11–22402800, फैक्सः 22446069, मउंपसरू दमीतनलनअेंदकमी/हउंपसण्बवउ